Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-V

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 12-01-2022 3:03 PM

Fee Receipt No	:	202202019001002	Receipt Date	:	12/01/2022
Name	:	HARISH AGARWAL ADV., M/S AISHWARYA	Document S. No.	:	202201019000743
Address	:	PLOT NO. 154,155,156, MALHOTRA NAGAR NEAR VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR			
Document Type	:	Inspection And Search			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 0

Ord-Registration Fee	:	₹ 0	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 0	Certified copying fees Us_57	:	₹ 0
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 0	Stamp Duty	:	₹ 0
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 700
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	**₹ 0**
			Other than Cash	:	**₹ 700**
From Year 2009 To Year 2022			**Total Amount**	:	**₹ 700**

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

e-Gras Challan 57600946 ₹ 700

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0057600946** Payment Date: **12/01/2022 12:48:02**

Office Name: **SUB REGISTRAR-V REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR**
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2021-To-31/03/2022

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	700.00

Commision(-): 0.00
Total/NetAmount: **700.00**

Seven Hundred Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:		
Full Name: **HARISH AGARWAL ADV.**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode):	jaipur(000000)
Address:jaipur	Remarks:INSPECTION SEARCH YEAR 2009 TO 2022 AT PLOT NO.154,155,156, MALHOTRA NAGAR NEAR VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR OWNER M/S AISHWARYA	

Payment Details:		Challan No. -	**0**
Bank:	State Bank Of India	Bank CIN No:	**00063264445961201 2022**
Date:	12/01/2022 12:48:02	Refrence No:	**CKS5277463**

Computer generated copy on : *12/01/2022* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR.

Mobile No. : 9413346087
40, Shree Gopal Nagar,
Gopalpura, Bye Pass,
JAIPUR (RAJ.)

REPORT OF TITLE SEARCH

01. REGARDING:

Immovable Property Reconsitituted Plot No. 154, 155 & 156, admeasuring 1045.94 Square Yards, situated at Malhotra Nagar, Near Vidhyadhar Nagar Stadium, Jaipur

02. FOR:

M/S Aishwarya, 299, Sector-3, Vidhyadhar Nagar, Jaipur (Partnership Firm)

03. Metes & Bounds:

Measurements :-

East-West towards South	: 111 Ft.
North-South towards East	: 85 Ft.
North-South towards West	: 84 Ft. 5 inches

Bounded as :-

Towards East	: Plot No. 153 (c)
Towards West	: 157
Towards North	: Road 40 Feet Wide
Towards South	: Other's Plot

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
H. No. 40, Shrigopal Nagar
Gopalpura Bypass, JAIPUR
Mob.- 9413346087

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR.

Mobile No. : 9413346087
40, Shree Gopal Nagar,
Gopalpura, Bye Pass,
JAIPUR (RAJ.)

04. CHAIN OF TITLE :

4.1 WHEREAS Jaipur Development Authority issued a Lease Deed No. 3162 dated 17.11.2009 in the name of Shri Vishwanath Pansari S/o Shri Prabhudayal Pansari of plot no. 154, admeasuring 349.44 Sq. yrds, which was then registered with the office of the Sub Registrar, Jaipur Ist, in book No. 1 Vol 530, at page 158 registered No. 2009051009616 and the copy of the Deed has been filed in Additional book No. 1 Vol. 2117 from pages 74 to 83 dated 17.11.2009.

4.2 AND WHEREAS said plot no. 154 was purchased by M/s Aishwarya from said Shri Vishwanath Pansari vide sale deed 07.12.2010, which was then registered with the office of the Sub Registrar, Jaipur Vth, in book No. 1 Vol 371, at page 83 registered No. 2010397013918 and the copy of the Deed has been filed in Additional book No. 1 Vol. 1482 from pages 403 to 414 dated 07.12.2010.

4.3 AND WHEREAS Jaipur Development Authority transfered said plot no 154 in the name of M/s Aishwarya and issued a letter no. D-486 dated 23.02.2011.

4.4 WHEREAS Jaipur Development Authority issued a Lease Deed No. 3163 dated 17.11.2009 in the name of Madan Lal S/o Shri Ramdev through POA holder Shri Vishwanath Pansari S/o Shri Prabhudayal Pansari of plot no. 155, admeasuring 349.44 Sq. yrds, which was then registered with the office of the Sub Registrar, Jaipur Ist, in book No. 1 Vol 530, at page 157 registered No. 2009051009615 and the copy of the Deed has been filed in Additional book No. 1 Vol. 2117 from pages 64 to 73 dated 17.11.2009.

4.5 AND WHEREAS said plot no. 155 was purchased by M/s Aishwarya from said Madan Lal S/o Shri Ramdev through POA holder Shri Vishwanath Pansari S/o Shri Prabhudayal PansariShri

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
No. 40, Shrigopal Nagar
Gopalpura Bypass, JAIPUR
Mob.- 9413346087

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR.

Mobile No. : 9413346087
40, Shree Gopal Nagar,
Gopalpura, Bye Pass,
JAIPUR (RAJ.)

Vishwanath Pansari vide sale deed 07.12.2010, which was then registered with the office of the Sub Registrar, Jaipur Vth, in book No. 1 Vol 371, at page 82 registered No. 2010397013917 and the copy of the Deed has been filed in Additional book No. 1 Vol. 1482 from pages 391 to 402 dated 07.12.2010.

4.6 AND WHEREAS Jaipur Development Authority transfered said plot no 155 in the name of M/s Aishwarya and issued a letter no. D-485 dated 23.02.2011

4.7 WHEREAS Jaipur Development Authority issued a Lease Deed No. 3233 dated 03.11.2010 in the name of Smt. Birdhi Devi Pansari W/o Shri Banshidhar Pansari through POA holder Shri Vishwanath Pansari S/o Shri Prabhudayal Pansari of plot no. 156, admeasuring 347.06 Sq. yrds, which was then registered with the office of the Sub Registrar, Jaipur Ist, in book No. 1 Vol 576, at page 166 registered No. 2010051007653 and the copy of the Deed has been filed in Additional book No. 1 Vol. 2301 from pages 214 to 222 dated 06.12.2010.

4.8 AND WHEREAS said plot no. 156 was purchased by M/s Aishwarya from said Smt. Birdhi Devi Pansari W/o Shri Banshidhar Pansari through POA holder Shri Vishwanath Pansari S/o Shri Prabhudayal Pansari vide sale deed 07.12.2010, which was then registered with the office of the Sub Registrar, Jaipur Vth, in book No. 1 Vol 371, at page 123 registered No. 2010397013958 and the copy of the Deed has been filed in Additional book No. 1 Vol. 1483 from pages 237 to 250 dated 07.12.2010.

4.9 AND WHEREAS Jaipur Development Authority transfered said plot no 156 in the name of M/s Aishwarya and issued a letter no. D-600 dated 08.03.2011.

4.10 AND Whereas on the application of M/s Aishwarya, Jaipur Development Authority had reconsituted the said three plots as Plot No. 154, 155 & 156, admeasuring 1045.94 Sq. Yards and issued a letter No. D-323 dated 24.01.2013 in the name of M/s Aishwarya.

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
P. No. 40, Shrigopal Nagar
Gopalpura Bypass, JAIPUR
Mob.- 9413346087

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR.

Mobile No. : 9413346087
40, Shree Gopal Nagar,
Gopalpura, Bye Pass,
JAIPUR (RAJ.)

4.11 AND Whereas said Partnership Firm M/s Aishwarya entered into a Development Agreement with M/S Aishwarya Kapish Homes, 299, Sector-3, Vidhyadhar Nagar, Jaipur to construct a Multistoried building vide Development Agreement dated 28.12.2021 which was then registered in the Office of Sub Registrar V, Jaipur in Book No. 1 Volume No. 1266 at page no. 143 Serial No. 202103019118261 on 30.12.2021 and copy of Deed filed in Additional Book No. 1 Volume No. 5063 on page no. 290 to 305.

05. GENERAL SEARCH:

I have deposited the necessary search fee for the period of year 2009 to the year 2022 (original receipts enclosed).

Thereafter I have conducted the general search of available record of registration and photo copy of documents provided to me with regards to said immovable property.

WHEREAS I understand that M/S Aishwarya, Jaipur is the Present Owner of the said Property having clear and Marketable Title of the said Property subject to the terms and condition of said Development Agreement.

(HARISH AGRAWAL)
Advocate
12/1/2022

HARISH AGARWAL
ADVOCATE
P. No. 40, Shrigopal Nagar
Gopalpura Bypass, JAIPUR
Mob.- 9413346087



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भूमि पट्टा-विलेख

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित भू-खण्डों के उप

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 17/नवम्बर/2009... को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या .....3162..... सन्वत ...2066..... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती ..... विश्वनाथ पंसारी .....

पुत्र/पत्नी ..... स्व० श्री जगन्नाथ पंसारी ..... जाति ..... महाजन .....

व्यवसाय ..... निवासी ..... जयपुर ..... (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत् में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो ...गुलाबवाड़ी... गृह निर्माण सहकारी समिति की ...मालवीय नगर... योजना में स्थित स्थान ...जयपुर... भूखण्ड संख्या ...154..... क्षेत्रफल ...249.55 व.गज..... और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।
2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर.....85/-..... रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि .....21202/-..... रुपये देय होती है जो चालान नं. ...514/19..... दिनांक ...13/11/09... से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि ....5940/-..... रुपये होती है जो चालान नं. ...514/19..... दिनांक ...13/11/09..... से जमा है।
3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन आयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।
4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशलन हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।
5. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।
6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पढ़ा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं दी गई डाक्यूमेंट

उप पंजीयक प्रथम
पंजीयन एवं मुद्रांक
जयपुर प्रथम

नोट :– इस भूखण्ड की ...नियमन राशि + 2 वर्ष की लीज..... पंजीकृत मूल्य राशि रु. ...3137/-.....

होती है। अतएव स्टाम्प नं. ...9599/5, 9500/1... स्टाम्प रुपये ...1560+10... संख्या ...6.....

बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 2009... माह नवम्बर के 17 वें दिन मंगलवार श्री नरेन्द्र सिंह

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन ...2... जयपुर।

उप-पंजीयक, जयपुर (नगर) (राज.)-I
पंजीयन विभाग
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-I

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

आयुक्त
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

एवं

पट्टेदार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर ...श्री विश्वनाथ पंसारी... किये।

Pansari

पट्टेदार के हस्ताक्षर

उप पंजीयक प्रथम
पंजीयन एवं मुद्रांक
जयपुर प्रथम

साक्षी :-

1. नाम ...सोमवीर सिंह...

   पिता/पति का नाम ...स्व. श्री माल सिंह...

   व्यवसाय ...व्यापार...

   निवास स्थान ...प्लाट नं. 122, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड, जयपुर...

   ...

   साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम ...सुरेन्द्र सहारण...

   पिता/पति का नाम ...श्री उदा राम सहारण...

   व्यवसाय ...व्यापार...

   निवास स्थान P.No-4 आनन्द नगर सिरसी रोड, जयपुर

   ...

   साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 17 माह नवम्बर सन् 2009 को 03:45 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHWANATH PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र 41 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी A-13, LOK VIHAR, PITAMPURA, DELHI A/P JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2009051013407)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-I

रसीद नं0	[2009051013762]
दिनांक	[17-11-2009]
पंजीयन शुल्क रू0	320
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	100
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	420

(2009051013407) उपपंजीयक, JAIPUR-I
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -VISHWANATH PANSARI / PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र -41 वर्ष जाति - MAHAJAN , व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - A-13, LOK VIHAR, PITAMPURA, DELHI A/P JAIPUR



(And Claiment)

1 -JDA / JDA
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -SERVICE
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 31187/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 31187/- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SOMVEER SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE MAL SINGH
उम्र -46 वर्ष जाति-RAJPUT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 122, RAJENDRA NAGAR,.SIRSI ROAD,.JAIPUR

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 31187
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 320 कुल रूपये 320 जरिये रसीद संख्या [2009051013762]
दिनांक [17-11-2009] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 1560
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2009051013407) उप पंजीयक, JAIPUR-I
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक 17/11/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 530
में पृष्ठ संख्या 158 क्रम संख्या 2009051009616पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2117
के पृष्ठ संख्या 74 से 83
पर चस्पा किया गया।

(2009051013407) उप पंजीयक, JAIPUR-I
Lease deed for local bodies (Patta)

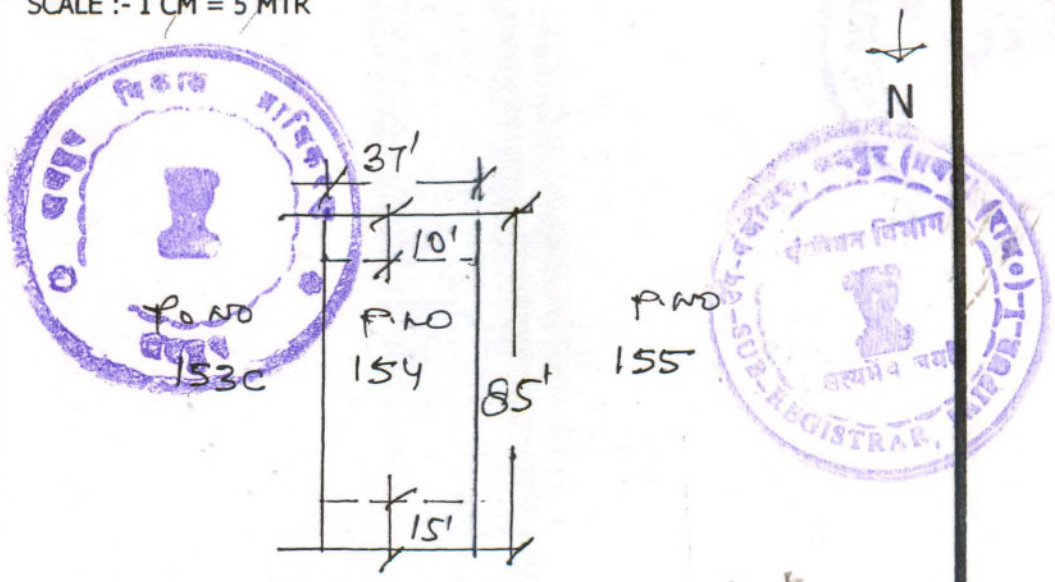
SITE PLAN OF PLOT No.---154---

SCHEME---MALHOTRA NAGAR (Gulabbadi SNS)---

AREA---349.44 SQYDS---

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS 2010

SCALE :- 1 CM = 5 MTR



16/11/09

SITE ENGINEER 16/11/09

TOWN PLANNING ASSISTANT/~~AIP~~

DY C. CONVERSSION
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

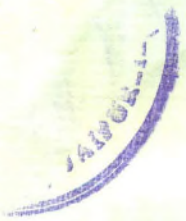
endorsement

आज दिनांक 17/11/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 530
में पृष्ठ संख्या 158 क्रम संख्या 2009051009616पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2117
के पृष्ठ संख्या 74 से 83
पर चस्पा किया गया।

(2009051013407) उप पंजीयक, JAIPUR-I
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक प्रथम
पंजीयन एवं मुद्रांक
जयपुर प्रथम









गुलाबबाड़ी गृह नि.स.स. का योजना
मालवीय नगर के भूखण्ड सं. 154
क्षेत्रफल 349.44 व.ग. के लीजडीड हेतु
वांछित रेवन्यू स्टाम्प रु 1560/-
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



99 दिनांक 13/11/09

पिता का नाम श्वनाथ पंवारी व स्वयमुदपाल पंवारी
आयु

कुमार सिंहल
स्वामी विक्रेता
र कॉलोनी दुर्गापुरा, जयपुर





10 NOV 2009

गुलाबबाड़ी... गृह नि.स.स. की योजना
मल्हार नगर के भूखण्ड सं.....154.....
क्षेत्रफल 349.44 व.मी. के लीजडीड हेतु
वांछित रजिस्ट्री स्टाम्प रु 1560+10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

उप पंजीयक प्रथम
संशोधन एवं मुद्रांक
जयपुर प्रथम

क्रमांक 9499 दिनांक 13/11/09

नाम विश्वनाथ पंसारी एवं उमाशंकर पंसारी

पता

मूल्य 15 रु. वादिनी

सतीश कुमार सिंहल
ला. स्टाम्प विक्रेता
143, श्रीविहार कॉलोनी दुर्गापुरा, जयपुर







गुलाबबाड़ी गृह नि.स.स. का योजना मल्होत्रा नगर के भूखण्ड सं. 154
क्षेत्रफल 349.45 व.ग. के लीजहोल्ड हेतु वांछित रेवन्यू स्टाम्प रु 1560 +10 के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक प्रथम
पंजीयन एवं मुद्रांक,
जयपुर प्रथम

499 दिनांक 13/11/09

~~विश्वनाथ पारीक~~ श्री. एन.डी.पाल पंवारी

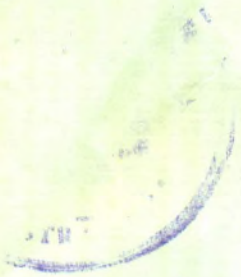
~~1500~~ रुपये

तोश कुमार सिंहल

ला. ~~दयाल विकेता~~

विहार कॉलोनी दुर्गापुरा, जयपुर











गुलाबबाड़ी गृह नि.स.स. की योजना
मालवीय नगर के भूखण्ड सं. 154
क्षेत्रफल 349.44 व.गी. के लीजडीड हेतु
वांछित रेवेन्यू स्टाम्प रु 1560 +10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

पंजीयक प्रथम
मुद्रांक एवं मुद्रांक,
जयपुर प्रथम

9499 दिनांक 13/11/07

नाम विजयपाल चौधरी

पिता का नाम

उम्र 15.8 वर्ष

संतोष कुमार सिंहल
का. स्टाम्प विक्रेता
143, श्रीविहार कॉलोनी दुर्गापुरा, जयपुर



29 OCT
2(G)
भौम ज्युडिशियल





गुलाबबाड़ी गृह नि.स.स. का योजना
मल्लेजा नगर के भूखण्ड सं. 154
क्षेत्रफल 341.44 व.मी. के लीजडीड हेतु
वांछित रेवेन्यू स्टाम्प रु 1560 +10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

सहायक प्रबन्धक
मुद्रांकन एवं मुद्रण,
जयपुर प्रथम

क्रमांक 9499 दिनांक 13/11/07

वादी [illegible] विश्वनाथ पंवार बनाम वि.भूदपाल पंवार

पक्षकार

मूल्य 15.00 रुपये

सतीश कुमार सिंहल

एडवोकेट

142, भीलवाड़ा कॉलोनी, सूरजपुरा, जयपुर







गुलाबबाड़ी गृह नि.स.स. का योजना
मल्लोडा नं. के भूखण्ड सं. 154
क्षेत्रफल 349.44 व.गं. के लीजडीड हेतु
बोर्डिल रेवेन्यू स्टाम्प रु. 1560 +10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्रतिनिधि [illegible]
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उप पंजीयक प्रथम
पंजीयन एवं मुद्रांक
जयपुर प्रथम

9500 13/11/07

क्रमांक ..... दिनांक .....

पक्षकार विश्वनाथ पंसारी बनाम रूपाराम पंसारी

पक्षा ..... प्रतिपक्ष .....

मुख्य ..... दस्तावेज .....

सतीश कुमार सिंहल
ला. स्टाम्प विक्रेता
143, श्रीविहार कॉलोनी, सांगानेरी, जयपुर



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

135379





SUB-REGISTRAR, JAIPUR

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

–: विक्रय–पत्र :–

यह विक्रय–पत्र आज दिनांक 7.. दिसम्बर, 2010 को **विश्वनाथ पंसारी** पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल पंसारी, आयु 47 वर्ष, जाति– अग्रवाल महाजन, निवासी– प्लॉट संख्या–ए–13, लोक विहार, प्रितमपुरा, दिल्ली, जिन्हें इस विक्रय–पत्र में **"प्रथम पक्ष"** कहकर सम्बोधित किया गया है, (जिस शब्द में इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न इत्यादि सम्मिलित समझे जाएंगें) **एवम् मैसर्स "ऐश्वर्या"** भागीदारी फर्म, जरिये– भागीदार, **विष्णुहरि लाठ** पुत्र श्री हरद्वारी लाल लाठ, आयु 57 वर्ष, निवासी– 3/299, विद्याधर नगर, जयपुर, जिसे इस विक्रय पत्र में **"द्वितीय पक्ष**

For M/S AISHWARYA

V. Harl

Partner

M Bansal

6 DEC 2010

क्र. सं. 18248

नाम.....

पिता का नाम.....

निवासी.....

मुद्रांक शुल्क 6000

(प्रयोजन)

प्रेम प्रकाश गुप्ता
ला. स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नं. 21/96
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर



राजस्थान RAJASTHAN

SUB-REGISTRAR, JAIPUR
135378

क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है । जिस शब्द में इसके उत्तराधिकारी, स्थापन्न, व्यवस्थापक, भागीदार आदि सम्मिलित समझे जायेंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है ।

जो कि जयपुर नगर चौकड़ी हवाली गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजिस्टर्ड नं0 2564/एल की आवासीय योजना मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर में एक प्लॉट संख्या–154 स्वर्गीय श्री प्रभु दयाल पंसारी के नाम था। यह प्लॉट पूर्व–पश्चिम 37 फिट, उत्तर–दक्षिण 90 फिट, जिसका कुल क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज था, जिसका सम्पूर्ण विवरण विक्रय–पत्र के अन्त में दर्शित किया गया है, जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा, विक्रय–पत्र का अभिन्न अंग होगा।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

For M/S AISHWARYA

V. Hari

Partner

6 DEC 2010

क्र. सं. 18245

नाम

पिता का नाम

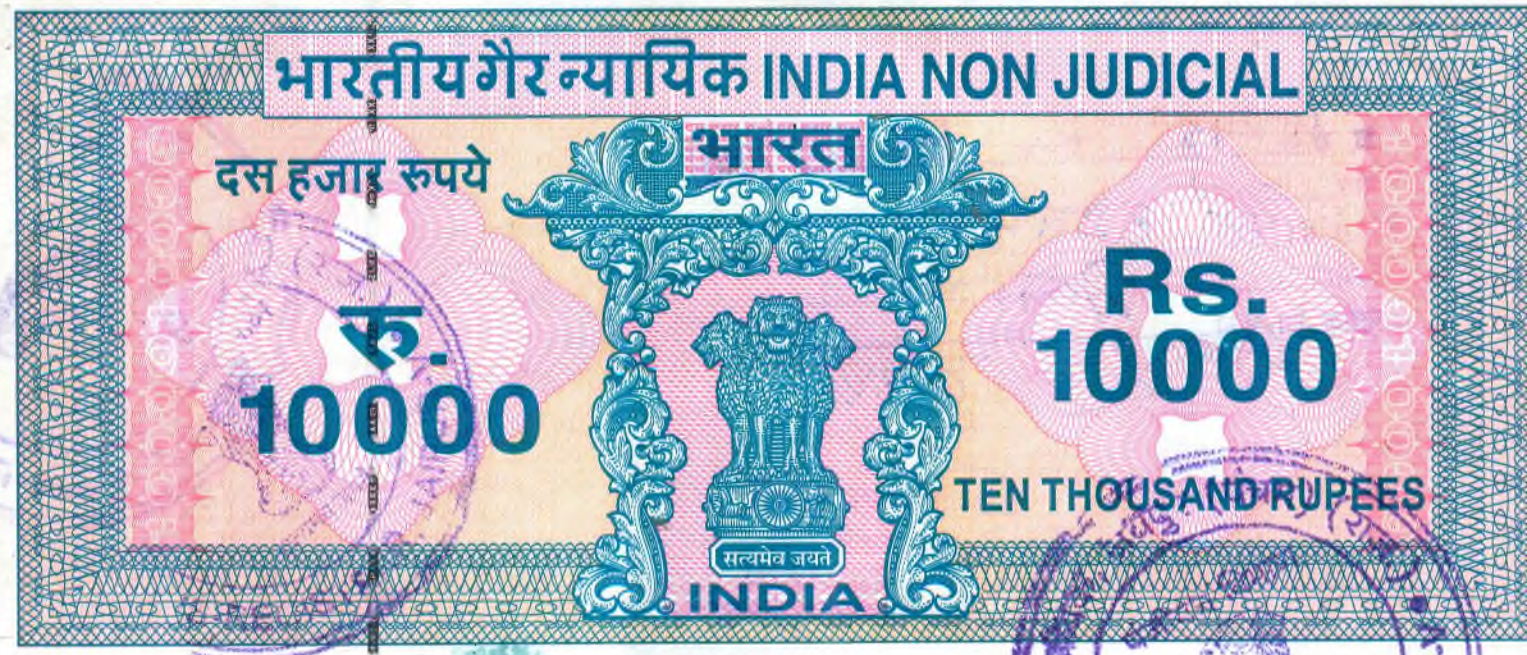
निवासी

मुद्रांक 60000

प्रेम प्रकाश गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
लाईसेन्स नं. 21/96
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर

For M/S AISHWARYA

Partner



राजस्थान RAJASTHAN

6585 13

SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की "मल्होत्रा नगर" योजना को स्वीकृत करते हुए प्लॉट संख्या–154 पूर्व–पश्चिम 37फिट, उत्तर–दक्षिण 85 फिट, कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज हो गया।

जो कि प्रभुदयाल पंसारी का दिनांक 12–01–2009 को बमुकाम दिल्ली स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के समय उनके वारिसान में उनकी धर्मपत्नि– श्रीमती कृष्णा देवी, पुत्रान– श्री विश्वनाथ, श्री अशोक कुमार, श्री जय पंसारी, श्री ओम प्रकाश, श्री सतीश कुमार तथा पुत्रियाँ– श्रीमती कान्ता देवी, श्रीमती कमलेश, श्रीमती मिथलेश तथा श्रीमती विमलेश थे, जो श्री प्रभुदयाल पंसारी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या–154 के मालिक व स्वामी हुए।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि श्री प्रभुदयाल पंसारी के स्वर्गवास होने के पश्चात्, उनकी धर्मपत्नि श्रीमती कृष्णा देवी, पुत्रान– श्री अशोक कुमार, श्री जय पंसारी, श्री ओम प्रकाश, श्री सतीश कुमार तथा पुत्रियाँ– श्रीमती कान्ता देवी, श्रीमती कमलेश, श्रीमती

For M/S AISHWARYA

Partner

क्र. 18245 दिनांक 6 DEC 2010

नाम

पिता का नाम

निवासी

मुद्रांक का मूल्य 60000/- पक्षकार

प्रेम प्रकाश गुप्ता
लाईसेन्स नं. 21/96
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर

जयपुर (पंचम) (राज.) • उप-पंजीयक • SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V • पंजीयन विभाग • सत्यमेव जयते

AYRAWHSIA S'M rof

Partner

मिथलेश व श्रीमती विमलेश द्वारा अपने स्वर्गीय पिता श्री प्रभुदयाल पंसारी के उक्त प्लॉट संख्या–154 में निहित अपने हक, मौखिक रूप से श्री विश्वनाथ पंसारी के हक में त्याग दिये थे । तत्पश्चात् श्री प्रभुदयाल पंसारी की पत्नि श्रीमती कृष्णा देवी, पुत्रान– श्री अशोक कुमार, श्री जय पंसारी, श्री ओम प्रकाश, श्री सतीश कुमार तथा पुत्रियाँ– श्रीमती कान्ता देवी, श्रीमती कमलेश, श्रीमती मिथलेश तथा श्रीमती विमलेश द्वारा श्री विश्वनाथ पंसारी पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल पंसारी के हक में उक्त प्लॉट संख्या–154 के सम्बन्ध में जरिये रजिस्टर्ड त्याग पत्र अपने अधिकार त्याग दिये थे। उक्त त्याग पत्र दिनांक 13–11–2009 को उप–पंजीयक, जयपुर द्वितीय के यहॉ प्रस्तुत किया गया, जो पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 619 पृष्ठ संख्या 79 क्रम संख्या 2009052007409 पर पंजिबद्ध किया गया, जो अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–2462 के पृष्ठ संख्या–330 से 338 पर चस्पा किया गया।

जो कि प्रथम पक्ष के हक में त्याग–पत्र होने के पश्चात्, प्रथम पक्ष द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 17–11–2009 को प्रथम पक्ष के हक में पट्टा विलेख जारी किया गया, जो उप पंजीयक– प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीबद्ध हेतु दिनांक 17–11–2009 को प्रस्तुत किया, जो पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–530 में पृष्ठ संख्या–158 क्रम संख्या–2009051009616 पर पंजीबद्ध हुआ, जो अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–2117 के पृष्ठ संख्या–74 से 83 पर चस्पा किया गया।

जो कि प्रथम पक्ष उक्त प्लॉट संख्या–154, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर पर एकमात्र मालिक व काबिज है। प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट को सभी प्रकार से काम में लेने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि उक्त प्लॉट संख्या–154, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, जनसाधारण अथवा सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं का किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है अर्थात् पूर्णतया पाक व साफ है।

जो कि प्रथम पक्ष को अपनी निजी आवश्यकता हेतु धन की आवश्यकता है, दूसरी ओर द्वितीय पक्ष फर्म को अपनी फर्म के आवासीय मकानात लिए उक्त भूखण्ड संख्या–154 की आवश्यकता है, जिसके तहत भूखण्ड का विक्रय मूल्य

For M/S AISHWARYA
Partner

आज दिनांक 7 माह दिसम्बर सन् 2010 को 11:41 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHWANATH PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र 47 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी P.NO. A-13 LOK VIHAR PREETAMPURA DELHI null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010397026518)
(Sale Deed (Conveyance deed))

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-V पंचम

रसीद नं0	[2010397027416]
दिनांक	[7-12-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	14000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	9300
कुल योग रू0	23600

(2010397026518) उपपंजीयक,JAIPUR-V
((Sale Deed (Conveyance deed))) पंचम

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

उपपंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.) SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

14,00,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख रूपये) तय पाया गया, जिसमें से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इकरारनामा तहरीर करते समय 10,00,000/– रूपये (अक्षरे दस लाख रूपये), जरिये दो चैक क्रमशः चैक संख्या–674951 दिनांकित 11–10–2010 तादादी 5,00,000/– रूपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) एवम् चैक संख्या–674952 दिनांकित 11–10–2010 तादादी 5,00,000/– रूपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) ड्रान ऑन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, विद्याधर नगर शाखा, जयपुर अदा किये गये, जिसे प्रथम पक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है तथा शेष विक्रय मूल्य की राशि 4,00,000/– रूपये (अक्षरे चार लाख रूपये) आज विक्रय–पत्र निष्पादित होने के समय द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को जरिये चैक संख्या–000052 दिनांक 06–12–2010 ड्रान ऑन कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, सरदार पटेल मार्ग शाखा, जयपुर अदा कर दिया है, जिसे प्रथम पक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है, इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा कर दी गई है और अब कोई राशि विक्रय मूल्य पेटे बकाया नहीं रही है।

जो कि विक्रयशुदा प्लॉट संख्या–154 के सम्बन्ध में लीज मनी, हाऊस टैक्स एवम् अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स इत्यादि विक्रय–पत्र निष्पादित होने से पूर्व के यदि बकाया निकलेंगें, तो वह समस्त प्रथम पक्ष अपने पास से अदा करेगा और आज के पश्चात् उक्त सम्बन्ध में जो भी देय राशि होगी, उसकी अदायगी का दायित्व द्वितीय पक्ष क्रेता का होगा।

जो कि उक्त विक्रयशुदा प्लॉट संख्या–154, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, प्रत्येक प्रकार के भार, रहन, विक्रय, बख्शीश, कुर्की, ऋण सरकारी एवं गैर सरकारी इत्यादि के झगड़ों से पूर्णतया मुक्त एवं पवित्र है।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति के बाबत् कोई भी व्यक्ति, उत्तराधिकारी, कम्पनी, संस्था इत्यादि आपत्ति करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी और यदि प्रथम पक्ष विक्रेता की मिल्कीयत की त्रुटि एवं कमी के कारण विक्रयशुदा सम्पत्ति या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष क्रेता के हक व अधिकार से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपने विक्रय मूल्य की समस्त राशि मय हर्जे व खर्चे के प्रथम पक्ष विक्रेता की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करे।

For M/S AISHWARYA

Partner

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -VISHWANATH PANSARI / PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र -47 वर्ष जाति - MAHAJAN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - P.NO. A-13 LOK VIHAR PREETAMPURA DELHI





(And Claiment)

1 -VISHNU HARI LATH / HARDWARI LATH
उम्र -57 वर्ष जाति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -P.NO. 3/299 VIDYADHAR NAGAR JAIOPUR AS PARTNER M/S AISHWARYA





ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 1400000 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू० 1400000 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री MANMOHAN LATH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री HARIDWARI LAL
उम्र -51 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 3/299 VIDYADHAR NAGAR JAIPUR,,



2- श्री/श्रीमती/सुश्री RAVI SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री PURSHOTTAM SHARMA
उम्र -20 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -STUDENT
निवासी 10 RAMESHWAR DHAM BENAD ROAD JAIPUR,,



ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, JAIPUR-V

(2010397026518)
Sale Deed (Conveyance deed)

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति में आज तक जो हक व हकूक प्रथम पक्ष विक्रेता के थे, वे समस्त द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये हैं अब विक्रयशुदा सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसके किसी भी वारिसान का कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहा है।

जो कि विक्रयशुदा उक्त प्लॉट संख्या–154 में अब द्वितीय पक्ष को पानी, बिजली, टेलीफोन व अन्य कनेक्शन अपने नाम से लेने का अधिकार होगा, इसमें प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

जो कि द्वितीय पक्ष को विक्रय पत्र के जरिये सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों इत्यादि के रेकार्ड में अपना नाम बतौर मालिक दर्ज करवाने के समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और द्वितीय पक्ष क्रेता, प्रथम पक्ष विक्रेता के समान मालिक व अधिकारी हो चुके हैं और विक्रयशुदा सम्पत्ति को हर प्रकार से काम में लेने, फायदा उठाने, रहन, विक्रय, बख्शीश तथा सभी प्रकार से हस्तान्तरित करने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता ने आज द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रयशुदा सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त असल दस्तावेजात सम्भलवा दिये हैं, जिसे द्वितीय पक्ष क्रेता प्राप्त होना स्वीकार करता हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रयशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा भी आज करा दिया है, जिसे भी द्वितीय पक्ष क्रेता प्राप्त होना स्वीकार करते हैं।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति की मिल्कीयत व मालिकाना हक व हकूक के बाबत् यदि गवाही इत्यादि की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए प्रथम पक्ष विक्रेता सदैव तैयार रहेगा और यथोचित कानूनी सहयोग देने के लिए बाध्य रहेंगें।

जो कि इस विक्रय–पत्र से सम्बन्धित समस्त प्रकार के खर्चे– स्टाम्प, पंजीयन इत्यादि द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा वहन किये गये हैं।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता का पेन नम्बर– **AEJPP3242C** तथा द्वितीय पक्ष क्रेता के पेन नम्बर–**AASFA4650L** हैं।

For M/S AISHWARYA

V. H Lah

Partner

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र

की मालियत रूपये 1400000

मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक

राशि 9300 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 14000 कुल रूपये 23300 जरिये रसीद संख्या [2010397027416]

दिनांक [7-12-2010] में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रूपये 69300

के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2010397026518) उप पंजीयक, JAIPUR-V

(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 7/12/2010 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 371

में पृष्ठ संख्या 83 क्रम संख्या 2010397013918पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1482

के पृष्ठ संख्या 403 से 414

पर चस्पा किया गया।

(2010397026518) उप पंजीयक, JAIPUR-V

Sale Deed (Conveyance deed)

विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

वाके शहर जयपुर चौकड़ी हवाली शहर स्थित प्लॉट संख्या–154, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, जिसका कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज है, जिसे विक्रय–पत्र के संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है। मानचित्र विक्रय–पत्र का अभिन्न अंग है। विक्रयशुदा उक्त प्लॉट संख्या–154 की चतुर्सीमाएं निम्न प्रकार हैं:–

पूर्व में	:	प्लॉट संख्या–153
पश्चिम में	:	प्लॉट संख्या–155
उत्तर में	:	रोड़ 40 फुट
दक्षिण में	:	अन्य प्लॉट

अतः यह विक्रय–पत्र 60,000/– रूपये (अक्षरे साठ हजार रूपये) कीमती स्टाम्प किता तीन एवम् चार हरे पेपरों पर पक्षकारान ने अपने स्वस्थ चित्त एवम् स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अनुचित दबाव के तथा पूर्ण होश–हवास में, समक्ष गवाहान तहरीर कर तकमील कर दिया है, सो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इतिश्री।

(विश्वनाथ पंसारी)
प्रथम पक्ष विक्रेता

गवाहान :

(1)

(2)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

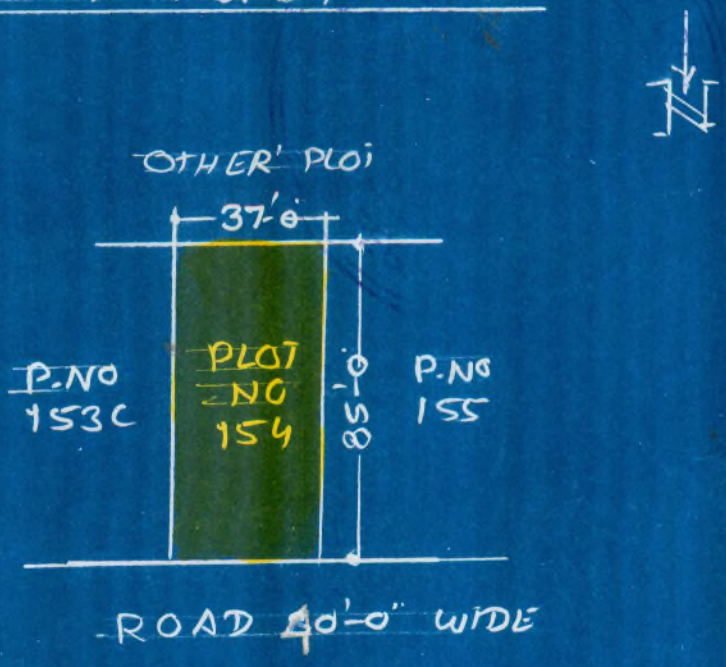
मैसर्स ऐश्वर्या
जरिये– भागीदार

(विष्णु हरि लाठ)
द्वितीय पक्ष क्रेता

For M/S AISHWARYA

Partner

SITE PLAN OF PLOT NO 154 IN MALHOTRA NAGAR, NEAR V.K.I AREA, SIKAR ROAD, JAIPUR



For M/S AISHWARYA

Partner

I DEED COLOUR SHOWN TH

TOTAL AREA = 292.16 SQMTR.
(=349.44 SQYDS)

आज दिनांक 7/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 371
में पृष्ठ संख्या 83 क्रम संख्या 2010397013918पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1482
के पृष्ठ संख्या 403 से 414
पर चस्पा किया गया।

सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम
उप पंजीयक, JAIPUR V

(2010397026518)
Sale Deed (Conveyance deed)

उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.)
पंजीयन विभाग
SUB-REGISTRAR, JAIPUR V (RAJ.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/जोन–2/2009/डी– 484 दिनांक 23-2-11

मैसर्स ऐश्वर्या,

जरिये, भागीदार विष्णुहरि लाठ पुत्र श्री हरद्वारी लाल लाठ,

3/299, विधाधर नगर, जयपुर।

विषय : **भूखण्ड संख्या–154, योजना मलहोत्रा नगर, गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर** का हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.10

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत **भूखण्ड संख्या–154, योजना मलहोत्रा नगर, जयपुर** के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त **भूखण्ड संख्या–154, योजना मलहोत्रा नगर, जयपुर** का हस्तान्तरण आपके नाम से उन्हीं नियमों एवं शर्तों के आधार पर किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तों के आधार पर उक्त भूखण्ड **श्री विश्व नाथ पंसारी पुत्र स्व. श्री प्रभु दयाल पंसारी** को आवंटित की गई थी।

प्रार्थी के हक में उपरोक्त हस्तान्तरण केवल मात्र प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन करवाने एवं प्रार्थी द्वारा ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। इस हस्तान्तरण से प्रार्थी को उपरोक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कानूनी हक प्राप्त नही होगा।

इस हस्तान्तरण से भूखण्ड के प्रति शहरी जमाबंदी की राशि में ..... प्रतिशत की बढोतरी ..... से लागू हो गई है। भविष्य में भूखण्ड के प्रति बकाया राशि आप जमा करायेगें।

उपायुक्त जो.।–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Stamps and Registration Department

OFFICE OF SUB REGISTRAR I

JAIPUR

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2009051013763	Date	17/11/2009
Presenter Name	VISHWANATH PANSARI	Document S. No	2009051013408
Presenter/Property Address	A-13, LOK VIHAR, PITAMPURA,DELHI A/P JAIPUR AS GPA OM PRAKASH		
Document Type	Lease deed for local bodies (Patta)		
Claiment Name	JDA	Payment Mode	Cash
Face Value	31187	Evaluated Value 0	Stamp Value 1560

Ord- registration fee	320	commssion	0
csi_less_50000	100	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	0	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	420

Four Hundred Twenty Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-I

11/17/2009





जयपुर विकास प्राधिकरण

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत)

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 21.11.2005 को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या ..... 3165 ..... सन् 2006 ..... को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती ...भगवानलाल... पुत्र/पत्नी ...श्री... जाति ...महाजन... व्यवसाय ..... निवासी ...जयपुर... (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत् में जहाँ कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो ...शुलाब कोठी... गृह निर्माण सहकारी समिति की ...जोधपुर नगर... योजना में स्थित स्थान ...जयपुर... भूखण्ड संख्या ...15... क्षेत्रफल ..... और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है, जिसका अंकित विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व आत्यंतिक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर ...25/-... रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि ...29702/-... रुपये देय होती है जो चालान नं. ...514/18... दिनांक 13/11/05 से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि ...5940... रुपये होती है जो चालान नं. ...514/18... दिनांक ...13/11/05... से जमा है।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5(3) आ.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा अनियमन आयोग्य निर्माण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशलन हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

5. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर क्रेता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं **दी राज. इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी।** यदि किसी भी शर्त या शर्तों का उल्लंघन किया गया तो उक्त भूखण्ड एवं उस पर बने हुए भवन, यदि कोई हो, सहित उक्त भूखण्ड बिना किसी मुआवजे की राशि के अधिग्रहण कर लिया जावेगा।

नोट :– इस भूखण्ड की ..... नियमन राशि + 2 वर्ष की लीज ... पंजीकृत मूल्य राशि रु. 2,11,807/–

होती है। अतएव स्टाम्प नं. ..... 10311 ..... 10312 ... स्टाम्प रुपये ..... 1560+10 ..... संख्या 3

बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 2019.... माह नवम्बर के ...12.... वें दिन मंगलवार श्री ..... नरेन्द्र सिंह .....

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन ..... 2 ..... जयपुर।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर

एवं

पट्टेदार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर मंगलाल जोशी व मु.आ. विश्वनाथ पंचारी किये।

पट्टेदार के हस्ताक्षर

सहायक प्रबन्धक
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

साक्षी :–

1. नाम सोमवीर सिंह
   पिता/पति का नाम स्व. श्री माल सिंह
   व्यवसाय व्यापार
   निवास स्थान प्लाट नं. 122, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर

   साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम सुरेन्द्र सहारण
   पिता/पति का नाम श्री उदाराम सहारण
   व्यवसाय व्यापार
   निवास स्थान P.N.O.4 आनन्द नगर सिरसी रोड जयपुर

   साक्षी के हस्ताक्षर

आज दिनांक 17 माह नवम्बर सन् 2009 को 03:41 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHWANATH PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र 41 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी A-13, LOK VIHAR, PITAMPURA, DELHI A/P JAIPUR AS GPA MADAN LAL
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2009051013406)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-I

रसीद नं0	[2009051013761]
दिनांक	[17-11-2009]
पंजीयन शुल्क रू0	320
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	100
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	0
कुल योग रू0	420

(2009051013406) उपपंजीयक,JAIPUR-I
((Lease deed for local bodies (Patta)))

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)	Signature	Photo	Thumb
1 -VISHWANATH PANSARI / PRABHU DAYAL PANSARI उम्र -41 वर्ष जाति - MAHAJAN , व्यवसाय -BUSINESS निवासी - A-13, LOK VIHAR, PITAMPURA, DELHI A/P JAIPUR AS GPA MADAN LAL			
(And Claiment) 1 -JDA / JDA उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -SERVICE निवासी -JAIPUR		×	×

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 31187/- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 31187 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1- श्री/श्रीमती/सुश्री SOMVEER SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE MAL SINGH
उम्र -46 वर्ष जाति-RAJPUT व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 122, RAJENDRA NAGAR,,SIRSI ROAD,,JAIPUR

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2009051013406)
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक, JAIPUR-I

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र
प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 31187
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 0 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 320 कुल रूपये 320 जरिये रसीद संख्या
[2009051013761]
दिनांक [17-11-2009] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 1560
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2009051013406) उप पंजीयक, JAIPUR-I
(Lease deed for local bodies (Patta))

आज दिनांक । [illegible] मुद्रांक
पुस्तक संख्या । जिल्द संख्या [illegible]
में पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 2009051009615पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या । जिल्द संख्या 2117
के पृष्ठ संख्या 64 से 73
पर चस्पा किया गया।

(2009051013406) उप पंजीयक, JAIPUR-I
Lease deed for local bodies (Patta)

[illegible] एवं मुद्रांक
जयपुर प्रथम

SITE PLAN OF PLOT No.---155---

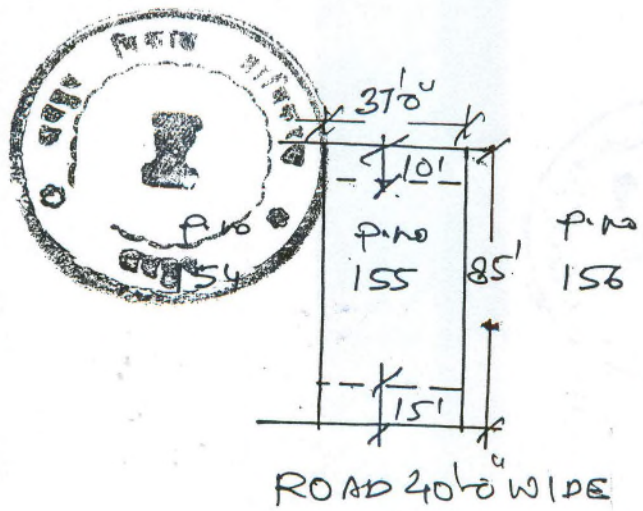
SCHEME---MALHOTRA NAGAR (Gulabbadi Ext)---

AREA---349.44 Sq.yds---

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS 2010

SCALE :- 1 CM = 5 MTR

N



16/11/09
SITE ENGINEER

16/11/09
TOWN PLANNING ASSISTANT/ATP

उपायुक्त
DY. C. CONVERSSION
नगर विकास प्राधिकरण जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

endorsement

आज दिनांक 17/11/2009 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 530
में पृष्ठ संख्या 157 क्रम संख्या 2009051009615पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2117
के पृष्ठ संख्या 64 से 73
पर चस्पा किया गया।

(2009051013406) उप पंजीयक, JAIPUR-I
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक प्रथम
जयपुर प्रथम









गुलाबबाड़ी ... गृह नि.स.स. का याजना
मालवीय नगर के भूखण्ड सं. 155
क्षेत्रफल 349.45 व.गा. के लीजहोल्ड हतु
वांछित रेवन्यू एडाप्य रु 1560 +10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर



1212

13 NOV 2009

1587

श्रीमती सारता गुप्ता







शुलतबाड़ी गृह नि.स.सं. का योजना
मल्टी.ला.वा.ई. के भूखण्ड सं. 155
क्षेत्रफल 349.44 व.ग. के लीजहोल्ड हेतु
वांछित ग्रेन्यू स्टाम्प रू 1560 +10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

जय पालक प्रबन्ध
संपीडन एवं मुद्रांक,

13 NOV 2009



श्रीमती सविता गुप्ता

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

B 979279

गुलाब बाग... गृह नि.स.स. की योजना
मल्टीस्टोरी नाम ... के भूखण्ड सं. 135
क्षेत्रफल 349.44 व.मी. के लीजहोल्ड हेतु
राशि रुपये रजिस्ट्री शुल्क के 1560+10
के प्रपत्र राजीनामा है।

उपखण्ड एवं सहायक अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

सहायक अभियन्ता
नगरीय एवं गुहीय
जयपुर

13 NOV 2009

श्रीमती सारिता



राजस्थान RAJASTHAN 32AA 931845





गुलाबबारी गृह नि.स.स. का योजना
मल्टीडा नं. 1 के भूखण्ड सं. 155
क्षेत्रफल 34.1.44 व.गज के लीजडीड हेतु
वांछित शेष शुल्क रुपये रु 1560+10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

1031 13 NOV 2009

Stamps and Registration Department
Office of The Sub Registrar Jaipur II
Jaipur
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2009052014011	Date		13/11/2009	
Presenter Name	MADAN LAL	Document S. No		2009052013477	
Presenter/Property Address	PLOT NO.40 AIRAN SIDE ROAD KOLKATTAATP. JAIPURnull				
Document Type	Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)				
Claiment Name	VISHVANATH			Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value	1304460	Stamp Value	500

Ord- registration fee	13050	commssion	0
csi_more_50000	200	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	25590	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total:	38840

Thirty Eight Thousand Eight Hundred Forty Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर







:: श्री ::

—:: मुख्त्यारनामा आम ::—

मैं, मदन लाल उम्र 72 वर्ष पुत्र स्व॰ श्री रामदेव, जाति महाजन, निवासी 40, आयरन साइड रोड़, हेम छाया बिल्डिंग, फ्लोर नम्बर–9, फ्लेट नम्बर 9–बी, बालीगंज, कोलकता (प. बंगाल) हाल जयपुर (राजस्थान) का हूँ।

जो कि मेरे स्वामित्व एवं अधिपत्य का एक प्लाट नम्बर 155, गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजि॰ नम्बर 2564/एल की आवासीय योजना मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर (राज.) में स्थित है। उक्त वर्णित प्लाट की नाप पूर्व–पश्चिम 37 फीट तथा उत्तर–दक्षिण 90 फीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

Madan Lal A.

53572 13 NOV 2009





377.77 वर्गगज है, जिसकी चारों सीमाओं में पूर्व की ओर प्लाट नम्बर 154 मिला हुआ, पश्चिम की ओर प्लाट नम्बर 156 मिला हुआ, उत्तर की ओर रोड़ 30 फीट चौड़ा सरकारी आमद रफत तथा दक्षिण की ओर अन्य का प्लाट मिला हुआ स्थित है। उक्त वर्णित प्लाट मुझको गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजि॰ नम्बर 2564/एल द्वारा जरिये आवंटन पत्र क्रमांक डी–354 दिनांक 25–10–2008 को आवंटित हुआ है। जिसकी चाही गयी समस्त राशि मैनें उक्त समिति में जमा करवा कर उक्त वर्णित प्लाट का वास्तविक रूप से भौतिक कब्जा मय साईट प्लान के मौके पर प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैं उपरोक्त वर्णित प्लाट का बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर साझे के एकमात्र रूप से मालिक काबिज स्वामी व अधिकारी हूँ तथा उक्त वर्णित प्लाट को हर प्रकार से रहन, विक्रय आदि द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त मालिकाना अधिकार मुझको प्राप्त हैं। मैंने आज दिन तक उक्त वर्णित प्लाट को किसी व्यक्ति या संस्था के हित में रहन, विक्रय, बख्शीश या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया है। तथा उक्त वर्णित प्लाट मेरी ओर से हर प्रकार के झगड़े, टन्टे वाद विवाद ऋण आदि से पूर्णतः मुक्त है।

जो मैं अपने कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहता हूँ इस कारण मै अपनी उपरोक्त सम्पत्ति प्लाट नम्बर 155, आवासीय योजना मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़ जयपुर कुल क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज है सें संबंधित विक्रय आदि की कार्यवाही, पेरवी व जबाब देही करनें में असमर्थ हूँ। इसलिए यह मुख्तारनामा आम लिख कर मैं अपने सगे भतीजे **श्री विश्वनाथ पंसारी** पुत्र स्व॰ श्री प्रभू दयाल, उम्र 46 वर्ष, जाति महाजन, निवासी प्लाट नम्बर ए–13, लोक विहार, प्रतिमपुरा, दिल्ली को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त कर अधिकार देता हूँ कि उक्त मुख्त्यारआम मेरी ओर से उक्त प्लाट का जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से पट्टा प्राप्त करे, पट्टे का पंजीयन करावे, रहन, विक्रय, बख्शीश आदि द्वारा हस्तान्तरित करे, विक्रय मूल्य प्राप्त करें, उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर विक्रय पत्र का निष्पादन करें, उक्त प्लाट का कब्जा

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

Madan Lal Agarwal

आज दिनांक 13 माह नवम्बर सन् 2009 को 02:13 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री MADAN LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE RAM DEV
उम्र 72 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी PLOT NO.40 AIRAN SIDE ROAD KOLKATTA ATP. JAIPUR null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

Madan Lal Jaipur

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2009052013477)

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-II

(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

रसीद नं0	[2009052014011]
दिनांक	[13-11-2009]
पंजीयन शुल्क रू0	13050
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	200
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	25590
कुल योग रू0	38840

(2009052013477) उपपंजीयक,JAIPUR-II

((Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)))

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.)
SUB-REGISTRAR, JAIPUR

क्रेता को हस्तान्तरित करे, विक्रय मूल्य की रसीद देवे, बयान देवे तथा उक्त सम्पत्ति के विक्रय सें संबंधित समस्त कार्यवाही का निष्पादन करें।

यह कि उक्त वर्णित प्लाट के विषय मे किसी प्रकार का कोई झगड़ा, टन्टा या मुकदमा हो तो उक्त मुख्त्यारआम मेरी ओर से राज्य सरकार के समस्त कार्यालय अदालत तहसील, निजामत, सैशन कोर्ट, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दीवानी न्यायालय, मुंसफी सिविल जजी, फौजदारी व राजस्व न्यायालयों, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर नगर परिषद, नगर निगम, विद्युत विभाग, जलदाय विभाग, पुलिस विभाग, जिलाधीश कार्यालय आदि समस्त कार्यालय, न्यायालय अधिकरण आदि जो इस समय कायम है या भविष्य में कायम होगें उनमें मेरी ओर से उपस्थित होवे तथा उक्त वर्णित प्लाट के संबंध में मेरी ओर से किये जाने वाले व मेरे विरूद्ध होने वाले समस्त मुकदमात व दरख्वास्तों आदि की हर प्रकार की कार्यवाही, पैरवी व जबाब देही, लिखित व मौखिक करें अपने दस्तखतों से दावा, जबाबदावा, प्रत्युत्तर, अपील, निगरानी, बाजदायरी, नजरसानी, उजदारी, रिट, अभियोग पत्र व उन्य सभी प्रकार के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र पेश करें, जबाब पेश करें संशोधित करावे सत्यापन करे, मेरी ओर से हलफीया बयान देवे, गवाहान के बयान करावे, जिरह करे, दरख्वास्त पेश करे, शपथ पत्र आदि देवे, राजीनामा करें, तस्दीक करावे किसी प्रकार का सम्मन, नोटिस तार आदि अपने दस्तखती देवे तथा किसी एडवोकेट, सी.ए. को नियुक्त करें, महनताना देवे अथवा पृथक करें व इससे संबंधित मेरी ओर की अन्य कार्यवाही अपने दस्तखती करें।

सांराश यह कि उक्त वर्णित प्लाट से संबंधित समस्त प्रकार की कार्यवाही पैरवी व जबाबदेही लिखित व मौखिक जो मेरे स्वयं के करने की हो वह समस्त मेरे उक्त मुख्त्यारआम को करने का पूर्ण हक व अधिकार होगा तथा उक्त मुख्त्यारआम द्वारा की हुई समस्त कार्यवाही मुझ मुख्त्यारकर्ता के समान की हुई के समान स्वीकार व अंगीकार होगी तथा मेरे द्वारा की हुई के समान मानी व समझी जावेगी।

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -MADAN LAL / LATE RAM DEV
उम्र -72 वर्ष जाति - MAHAJAN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - PLOT NO.40 AIRAN SIDE ROAD KOLKATTA ATP.
JAIPUR

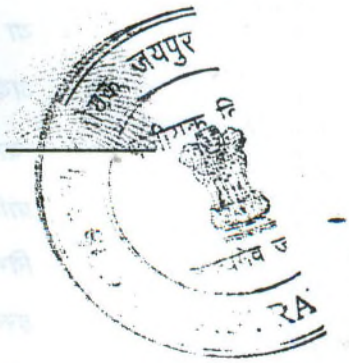




(And Claiment)

1 -VISHVANATH / LATE PRABHU DAYAL
उम्र -46 वर्ष जाति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -A 13 LOK VIHAR PREETAMPURA DELHI





ने लेख्यपत्र Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 _____ पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0_____ पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SATISH KUMAR
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री LATE PRABHU DAYAL
उम्र -57 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 19 SONARI JAMSHEDPUR,,



2- श्री/श्रीमती/सुश्री SHANKAR LAL GUPTA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री MADAN LAL
उम्र -54 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 40 AIRAN SAIDE ROAD KOLKATTA,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2009052013477)
Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)

उप पंजीयक, JAIPUR-II
उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

उप पंजीयक, जयपुर (द्वितीय) (राज.) * SUB-REGISTRAR, JAIPUR * निभाग सत्यमेव जयते

यह कि उक्त मुख्त्यार किये गये प्लाट का कुल क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज है जिसमें किसी प्रकार का कोई निर्माण किया हुआ नहीं है तथा यह मुख्त्यारनामा आम खण्डनीय है तथा मुख्त्यार किये गये प्लाट पर भौतिक कब्जा मेरे पास है।

अतः यह मुख्त्यारनामा आम मैने अपनी राजी, खुशी, पूर्ण होश हवास, बिना किसी नशे पत्ते के स्वस्थ चित्त एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था में 500/– रूपये के एक किता स्टाम्प व तीन पेपरों पर टंकण करवा कर भली प्रकार से पढ़, सुन व समझकर दो गवाहो के समक्ष हस्ताक्षर कर दिया है कि प्रमाण रहें और समय पर काम आवें। इति दिनांकः 13 नवम्बर सन् 2009 ईस्वी।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता :–

(मदन लाल)

हस्ताक्षर मुख्त्यारआम

(विश्वनाथ पंसारी)

गवाह 1 :
निवासी–

उप पंजीयक द्वितीय
जयपुर

गवाह 2
निवासी–

Drafted by

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 1304460
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 25590 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 13050 कुल रूपये 38640 जरिये रसीद संख्या
[2009052014011]
दिनांक [13-11-2009] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 26090
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2009052013477) उप पंजीयक, JAIPUR-II
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

आज दिनांक 13/11/2009 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 149
में पृष्ठ संख्या 69 क्रम संख्या 2009052000551 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 599
के पृष्ठ संख्या 544 से 553
पर चस्पा किया गया।

(2009052013477) उप पंजीयक, JAIPUR-II
Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

06 DEC 2010





—: विक्रय–पत्र :—

यह विक्रय–पत्र आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 को **मदन लाल** पुत्र श्री [illegible] रामदेव, आयु 73 वर्ष, जाति– अग्रवाल महाजन, निवासी– प्लॉट संख्या–40, आयरन साईड रोड़, हेम छाया बिल्डिंग, फ्लोर नम्बर–9, फ्लैट नम्बर–9बी, बाल्गीगंज कोलकाता जरिये– मुखत्यार, **श्री विश्वनाथ पंसारी** पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल पंसारी, आयु 47 वर्ष, जाति– महाजन, निवासी– प्लॉट नम्बर

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

For M/S AISHWARYA

Partner

-6 DEC 2010

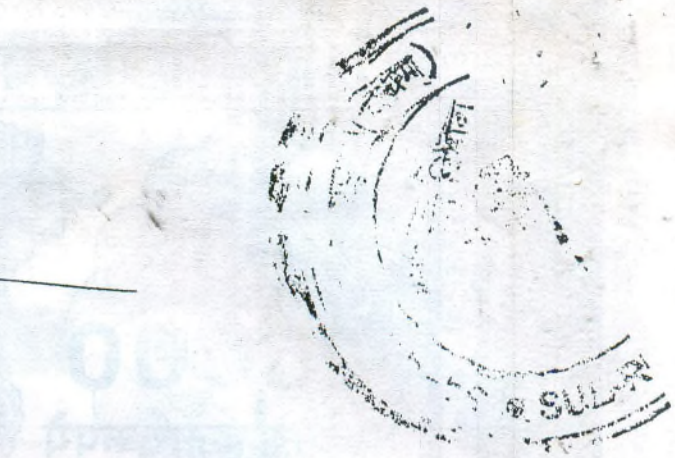
15249

मिर्ज़ा इरफ़ान

दिल्ली घटना

60000/- दुर्घटना

मिर्ज़ा गुप्ता
[illegible]
[illegible] 21196
जिलायोग कार्यालय, जयपुर







ए–13, लोक विहार, प्रितमपुरा, दिल्ली, जिन्हें इस विक्रय–पत्र में "प्रथम पक्ष" कहकर सम्बोधित किया गया है, (जिस शब्द में इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न इत्यादि सम्मिलित समझे जाएंगें) एवम् मैसर्स "ऐश्वर्या" भागीदारी फर्म, जरिये–भागीदार विष्णुहरि लाठ पुत्र श्री हरद्वारी लाल लाठ, आयु 57 वर्ष, निवासी–3/299, विद्याधर नगर, जयपुर, जिसे इस विक्रय पत्र में "द्वितीय पक्ष क्रेता" कहकर सम्बोधित किया गया है । जिस शब्द में इसके उत्तराधिकारी, स्थापन्न, व्यवस्थापक, भागीदार आदि सम्मिलित समझे जायेंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है ।

जो कि जयपुर नगर चौकड़ी हवाली गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजिस्टर्ड नं0 2564/एल की आवासीय योजना मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर में एक प्लॉट संख्या–155 श्री मदन लाल पुत्र श्री रामदेव के नाम था। यह प्लॉट पूर्व–पश्चिम 37 फिट, उत्तर–दक्षिण 90 फिट, जिसका कुल क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज था।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

For M/S AISHWARYA

V. Kalra

Partner

क्र. सं. 8245 6 DEC 2010

गेहूं 1 टन वर्षा

60000/- दर्शाया

प्रकाश गुप्ता
खाद्य विक्रेता
लाईसेन्स नं. 21/96
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर



राजस्थान RAJASTHAN

658512

जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की "मल्होत्रा नगर" योजना को स्वीकृत करते हुए प्लॉट संख्या–155 पूर्व–पश्चिम 37 फिट, उत्तर–दक्षिण 85 फिट, कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज हो गया, जिसका सम्पूर्ण विवरण विक्रय–पत्र के अन्त में दर्शित किया गया है, जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा, विक्रय–पत्र का अभिन्न अंग होगा।

जो कि प्रथम पक्ष मदन लाल द्वारा अपने उक्त प्लॉट संख्या–155 के सम्बन्ध में एक मुखत्यारनामा दिनांक 13–11–2009 को श्री विश्वनाथ पंसारी पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल पंसारी के हक में तहरीर कर तकमील किया गया, जो उप पंजीयक–द्वितीय, जयपुर शहर, जयपुर के यहाँ दिनांक 13–11–2009 को पुस्तक संख्या–4, जिल्द संख्या–149 के पृष्ठ संख्या–69, क्रम संख्या–2009052000551 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या–4, जिल्द संख्या–599 के पृष्ठ संख्या–544 से 553 पर चस्पा किया गया। मुखत्यारनामें के जरिये अपने

सब रजिस्ट्रार, पंचम जयपुर

For M/S AISHWARYA
Partner

E6 DEC 2010

249

प्रेम प्रकाश गुप्ता
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेन्स नं. 21/96
जिलाधीश कार्यालय, जयपुर

उक्त प्लॉट संख्या–155 के सम्बन्ध में समस्त अधिकार प्रथम पक्ष मदन लाल द्वारा अपने मुख्तयार, श्री विश्वनाथ पंसारी के हक में दिये गये। उक्त मुख्तयारनामा आज तक प्रभावी है।

जो कि प्रथम पक्ष द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 17–11–2009 को प्रथम पक्ष के हक में पट्टा विलेख जारी किया गया, जो उप पंजीयक– प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीबद्ध हेतु दिनांक 17–11–2009 को प्रस्तुत किया, जो पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–530 में पृष्ठ संख्या–157 क्रम संख्या–2009051009615 पर पंजीबद्ध हुआ, जो अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–2117 के पृष्ठ संख्या–64 से 73 पर चस्पा किया गया।

जो कि प्रथम पक्ष उक्त प्लॉट संख्या–155, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर पर एकमात्र मालिक व काबिज है। प्रथम पक्ष को उक्त प्लॉट को सभी प्रकार से काम में लेने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

जो कि उक्त प्लॉट संख्या–155, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, जनसाधारण अथवा सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं का किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है अर्थात् पूर्णतया पाक व साफ है।

जो कि प्रथम पक्ष को अपनी निजी आवश्यकता हेतु धन की आवश्यकता है, दूसरी ओर द्वितीय पक्ष फर्म को अपनी फर्म के आवासीय मकानात के लिए उक्त भूखण्ड संख्या–155 की आवश्यकता है, इस प्रकार दोनों पक्षों द्वारा भूखण्ड का विक्रय प्रतिफल 14,00,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख रूपये) तय पाया गया, जिसमें से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को इकरारनामा तहरीर करते समय 5,00,000/– रूपये (अक्षरे पांच लाख रूपये) जरिये चैक संख्या–674953 दिनांक 14–10–2010 ड्रान ऑन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, विद्याधर नगर शाखा, जयपुर अदा किया गया, जिसे प्रथम पक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है तथा शेष विक्रय मूल्य की राशि 9,00,000/– रूपये (अक्षरे नौ लाख रूपये) आज विक्रय–पत्र निष्पादित होने के समय द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को जरिये चैक

उप रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

For M/S AISHWARYA
V. Hotwani
Partner

आज दिनांक 7 माह दिसम्बर सन् 2010 को 11:40 AM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHWANATH PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र 47 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी P.NO. A-13 LOK VIHAR PREETAMPURA DELHI AS GPA MADAN LAL S/O RAMDEV null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010397026517)
(Sale Deed (Conveyance deed))

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-V पंचम

रसीद नं0	[2010397027415]
दिनांक	[7-12-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	14000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	9300
कुल योग रू0	23600

(2010397026517) उपपंजीयक,JAIPUR-V जयपुर
((Sale Deed (Conveyance deed))) पंचम

जयपुर (पंचम) (राज.) SUB-REGISTRAR, JAIPUR

संख्या–000053 दिनांक 6–12–2010 ड्रान ऑन कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, सरदार पटेल मार्ग शाखा, जयपुर अदा कर दिया है, जिसे प्रथम पक्ष प्राप्त होना स्वीकार करता है, इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा कर दी गई है और अब कोई राशि विक्रय मूल्य पेटे बकाया नहीं रही है, जिसे प्रथम पक्ष स्वीकार करता है।

जो कि विक्रयशुदा प्लॉट संख्या–155 के सम्बन्ध में लीज मनी, हाऊस टैक्स एवम् अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स इत्यादि विक्रय–पत्र निष्पादित होने से पूर्व के यदि बकाया निकलेंगें, तो वह समस्त प्रथम पक्ष अपने पास से अदा करेगा और आज के पश्चात् उक्त सम्बन्ध में जो भी देय राशि होगी, उसकी अदायगी का दायित्व द्वितीय पक्ष क्रेता का होगा।

जो कि उक्त विक्रयशुदा प्लॉट संख्या–155, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, प्रत्येक प्रकार के भार, रहन, विक्रय, बख्शीश, कुर्की, ऋण सरकारी एवं गैर सरकारी इत्यादि के झगड़ों से पूर्णतया मुक्त एवं पवित्र है।

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति के बाबत् कोई भी व्यक्ति, उत्तराधिकारी, कम्पनी, संस्था इत्यादि आपत्ति करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी और यदि प्रथम पक्ष विक्रेता की मिल्कीयत की त्रुटि एवं कमी के कारण विक्रयशुदा सम्पत्ति या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष क्रेता के हक व अधिकार से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपने विक्रय मूल्य की समस्त राशि मय हर्जे व खर्चे के प्रथम पक्ष विक्रेता की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करे।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति में आज तक जो हक व हकूक प्रथम पक्ष विक्रेता के थे, वे समस्त द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये हैं अब विक्रयशुदा सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसके किसी भी वारिसान का कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहा है।

For M/S AISHWARYA

V. K. Gupta
Partner

Mansuri

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -VISHWANATH PANSARI / PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र -47 वर्ष जाति - MAHAJAN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - P.NO. A-13 LOK VIHAR PREETAMPURA DELHI AS GPA MADAN LAL S/O RAMDEV



(And Claiment)

1 -VISHNU HARI LATH / HARDWARI LATH
उम्र -57 वर्ष जाति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -P.NO. 3/299 VIDYADHAR NAGAR JAIOPUR AS PARTNER M/S AISHWARYA



ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 1400000 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 1400000 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री MANMOHAN LATH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री HARIDWARI LAL
उम्र -51 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 3/299 VIDYADHAR NAGAR JAIPUR,,

2- श्री/श्रीमती/सुश्री RAVI SHARMA
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री PURSHOTTAM SHARMA
उम्र -20 वर्ष जाति-BRAHMIN व्यवसाय -STUDENT
निवासी 10 RAMESHWAR DHAM BENAD ROAD JAIPUR,,

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, JAIPUR V
सब रजिस्ट्रार V जयपुर
पंचम

(2010397026517)
Sale Deed (Conveyance deed)

जो कि विक्रयशुदा उक्त प्लॉट संख्या–155 में अब द्वितीय पक्ष को पानी, बिजली, टेलीफोन व अन्य कनेक्शन अपने नाम से लेने का अधिकार होगा, इसमें प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।

जो कि द्वितीय पक्ष को विक्रय पत्र के जरिये सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों इत्यादि के रेकार्ड में अपना नाम बतौर मालिक दर्ज करवाने के समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और द्वितीय पक्ष क्रेता, प्रथम पक्ष विक्रेता के समान मालिक व अधिकारी हो चुके हैं और विक्रयशुदा सम्पत्ति को हर प्रकार से काम में लेने, फायदा उठाने, रहन, विक्रय, बख्शीश तथा सभी प्रकार से हस्तान्तरित करने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता ने आज द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रयशुदा सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त असल दस्तावेजात सम्भलवा दिये हैं, जिसे द्वितीय पक्ष क्रेता प्राप्त होना स्वीकार करता हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रयशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा भी आज करा दिया है, जिसे भी द्वितीय पक्ष क्रेता फर्म की ओर से उसके भागीदार प्राप्त होना स्वीकार करते हैं।

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति की मिल्कीयत व मालिकाना हक व हकूक के बाबत् यदि गवाही इत्यादि की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए प्रथम पक्ष विक्रेता सदैव तैयार रहेगा और यथोचित कानूनी सहयोग देने के लिए बाध्य रहेंगें।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि इस विक्रय–पत्र से सम्बन्धित समस्त प्रकार के खर्चे– स्टाम्प, पंजीयन इत्यादि द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा वहन किये गये हैं।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता का पेन नम्बर– **AEJPP3242C** तथा द्वितीय पक्ष क्रेता के पेन नम्बर–**AASFA4650L** हैं।

<u>विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण</u>

For M/S AISHWARYA
V. Kalra
Partner

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र

की मालियत रूपये 1400000

मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक

राशि 9300 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 14000 कुल रूपये 23300 जरिये रसीद संख्या [2010397027415]

दिनांक [7-12-2010] में जमा किये गये है।

अतः दस्तावेज को रूपये 69300

के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

(2010397026517) उप पंजीयक, JAIPUR-V
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 7/12/2010 को

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 371

में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2010397013917पर

पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त

पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1482

के पृष्ठ संख्या 391 से 402

पर चस्पा किया गया।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

(2010397026517) उप पंजीयक, JAIPUR-V
Sale Deed (Conveyance deed)

वाके शहर जयपुर चौकड़ी हवाली शहर स्थित प्लॉट संख्या–155, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, जिसका कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज है, जिसे विक्रय–पत्र के संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है। मानचित्र विक्रय–पत्र का अभिन्न अंग है। विक्रयशुदा उक्त प्लॉट संख्या–155 की चतुर्सीमाएं निम्न प्रकार हैं:–

पूर्व में	:	प्लॉट संख्या–154
पश्चिम में	:	प्लॉट संख्या–156
उत्तर में	:	रोड़ 40 फुट
दक्षिण में	:	अन्य प्लॉट

अतः यह विक्रय–पत्र 60,000/– रूपये (अक्षरे साठ हजार रूपये) कीमती स्टाम्प किता तीन एवम् चार हरे पेपर पर पक्षकारान ने अपने स्वस्थ चित्त एवम् स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अनुचित दबाव के तथा पूर्ण होश–हवास में, समक्ष गवाहान तहरीर कर तकमील कर दिया है, सो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इतिश्री।

(मदन लाल)
जरिये– मुखत्यार

(विश्वनाथ पंसारी)
प्रथम पक्ष विक्रेता

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

पंचम गवाहान :

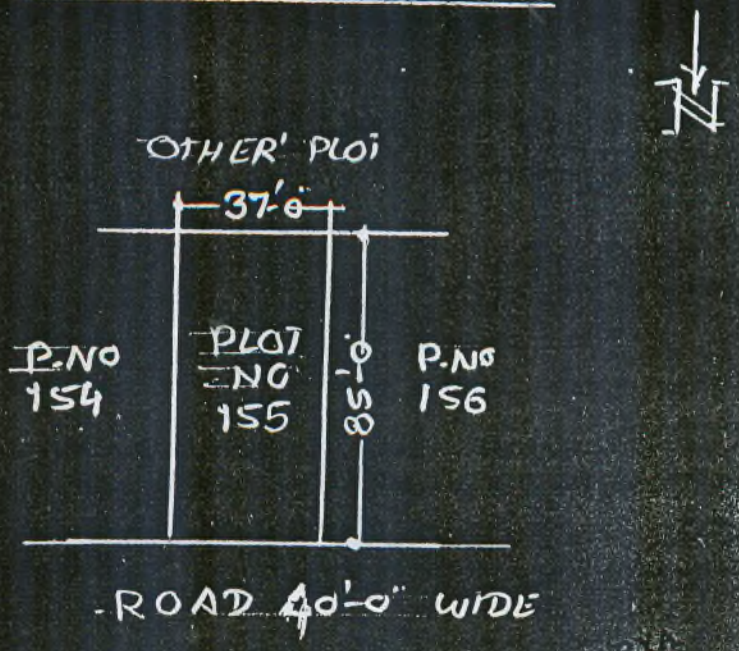
(1)
(Manmohan Lalh)
S/O Sh. H.L. Lalh
3/299 Vidyadhar Nagar

(2) .Jaipur
Rani Kv. Sharma S/o Purshottam Sharma
Plot. No. 10, Rameshwar Sharma Jaipur

मैसर्स ऐश्वर्या
जरिये– भागीदार

(विष्णु हरि लाठ)
द्वितीय पक्ष क्रेता

SITE PLAN OF PLOT NO 155 IN MALHOTRA NAGAR, NEAR V.K.I AREA, SIKAR ROAD, JAIPUR



AS PER DEED COLOUR SHOWN TH

TOTAL AREA = 292.16 SQMTR
(=349.44 SQYDS)

आज दिनांक 7/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 371
में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2010397013917 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1482
के पृष्ठ संख्या 391 से 402
पर चस्पा किया गया।

सब रजिस्ट्रार जयपुर
SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V
पंचम

(2010397026517)
Sale Deed (Conveyance deed)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/जोन-2/2009/डी 485 दिनांक 23-2-11

मैसर्स ऐश्वर्या,

जरिये, भागीदार विष्णुहरि लाठ पुत्र श्री हरद्वारी लाल लाठ,

3/299, विधाधर नगर, जयपुर।

विषय : **भूखण्ड संख्या–155, योजना मलहोत्रा नगर, गुलाब बाडी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर** का हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 13.12.10

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत **भूखण्ड संख्या–155, योजना मलहोत्रा नगर, जयपुर** के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त **भूखण्ड संख्या–155, योजना मलहोत्रा नगर, जयपुर** का हस्तान्तरण आपके नाम से उन्हीं नियमों एवं शर्तो के आधार पर किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तो के आधार पर उक्त भूखण्ड **श्री मदन लाल पुत्र श्री रामदेव** को आवंटित की गई थी।

प्रार्थी के हक में उपरोक्त हस्तान्तरण केवल मात्र प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन करवाने एवं प्रार्थी द्वारा ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। इस हस्तान्तरण से प्रार्थी को उपरोक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का कानूनी हक प्राप्त नहीं होगा।

इस हस्तान्तरण से भूखण्ड के प्रति शहरी जमाबंदी की राशि में ..... प्रतिशत की बढोतरी ..... से लागू हो गई है। भविष्य मे भूखण्ड के प्रति बकाया राशि आप जमा करायेगें।

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर





जयपुर विकास प्राधिकरण,

शहरी जमाबन्दी के आधार पर आवासीय प्रयोजनों के लिए भू

(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 'ख' के प्रावधानों के अन्तर्गत उ

यह इकरारनामा जो आज दिनांक 3/11/ 20.10.. को, आवंटित/विक्रय-पत्र संख्या 3233 सन् 2010 को राजस्थान राज्य के राज्यपाल जिन्हें इसमें इसके पश्चात् सरकार कह कर सम्बोधित किया गया है और दूसरी ओर श्री/श्रीमती श्रीमती विद्यादेवी पत्नी [illegible] पत्नी पुत्र/पत्नी [illegible] जाति [illegible] व्यवसाय [illegible] निवासी 156 [illegible] (जिनको इसमें इसके पश्चात् पट्टेदार कह कर सम्बोधित किया गया है और इस बाबत् में जहाँ कहीं प्रसंग से विरुद्ध अर्थ निकले, उनके उत्तराधिकारी, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकील अलैह भी सम्मिलित होंगे) के बीच लिखा गया है।

इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों, जो पट्टेदार द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जावेंगे के एवज में सरकार इसके द्वारा पट्टेदार को जमीन का वह तमाम प्लाट (जो इसके बाद उक्त भूखण्ड कह कर सम्बोधित किया गया है) का नियमन और पुनः आवंटन करती है जो [illegible] गृह निर्माण सहकारी समिति की [illegible] योजना में स्थित स्थान [illegible] भूखण्ड संख्या 157 क्षेत्रफल 347.06 वर्गगज और जो अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के साथ इसके साथ संलग्न साइट प्लान में अधिक पूर्ण रूपेण वर्णित है। जिसका आकार विशेष रूप से इससे संलग्न नक्शे में दिखलाया गया है, और जिसे पूर्व स्वामित्व सम्बन्धी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम व प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, प्रतिबन्धों, वैध शर्तों और करारों के अधीन पट्टेदार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा, अर्थात् :-

1. उक्त भूखण्ड शहरी जमाबन्दी (लीज होल्ड) पर पुनः आवंटित किया गया है। लीज की अवधि, 99 वर्ष होगी।

2. पट्टेदार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय में या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत अन्य स्थान पर नियमन दर 65/- रुपये प्रति वर्ग गज से कुल नियमन राशि 29,500/- रुपये देय होती है जो चालान नं. 110285 दिनांक 13/10/2010 से जमा है इसका 2.5% प्रति वर्ष की दर से शहरी जमाबन्दी रुपये देय है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ-9 (15) यू.डी./3/2001 दिनांक 15.1.2002 से आठ वर्षीय लीज राशि 5900/- रुपये होती है जो चालान नं. 110285 दिनांक 13/10/2010 से जमा है।

3. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल उस पर रहने के आशय से किसी भवन या भवनों के बनवाने में ही होगा। भूखण्ड का अन्य भिन्न उपयोग किसी भी भांति नहीं किया जा सकेगा। निर्मित भूखण्ड के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 10.7.99 क्रमांक पं. 5(3) न.वि.वि./3/99 द्वारा भवन विनियमों के प्रावधानों में प्रदत्त शिथिलता के तहत नियमन योग्य निर्माण ही नियमित किया गया है। तथा नियमन आयोग्य निर्माण के सम्बंन्ध में सम्बन्धित विनियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं सैट बैक प्लान के अनुसार छोड़ने होंगे। परन्तु यदि भूखण्ड 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल का है तो उस पर निर्माण प्राधिकरण से भवन के नक्शे को नियमानुसार पास करवाकर कराना होगा।

उप पंजीयक जयपुर-प्रथम

4. इस लीज डीड के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकारी ऋणदात्री संस्था/एच.डी.एफ.सी. अथवा नेशलन हाउसिंग बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास भवन निर्माण के ऋण के लिए गिरवी रखा जा सकेगा।

5. आवंटी द्वारा भूखण्ड विक्रय करने पर केता द्वारा भूखण्ड का हस्तांतरण जयपुर विकास प्राधिकरण के नियमों के अनुसार प्राधिकरण से करवाना होगा।

6. पट्टेदार उक्त भूखण्ड या उस पर बनाये गये भवन या भवनों का या उन दोनों के किसी भाग को किसी ऐसे आशय के लिये जो पिछले पद में निर्देशित आशय के असंगत है बिना सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारी की लिखित स्वीकृति, के जो एतदर्थ नियुक्त किया गया हो, न तो उपयोग में लावेगा और न उपयोग में लाने की अनुमति ही देगा। पट्टेदार द्वारा पट्टा विलेख की उपरोक्त शर्तों एवं **दी राज. इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड रूल्स, 1974 के) अन्तर्गत स्थापित शर्तों की पूर्ण पालना की जावेगी।** यदि किसी भी

नोट :– इस भूखण्ड की निःशुल्क + अधि + 240 sq.m. पंजीकृत मूल्य राशि रु. 35237=00=00

होती है। अतएव स्टाम्प नं. 562 563 स्टाम्प रुपये 100+1/- संख्या 2

बहैसियत पट्टा इसके साथ लगाये जाते हैं।

इसके साक्षी के रूप में इसके पक्षकारों ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने-अपने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

सरकार की ओर से

आज सन् 20 ..... माह ..... के ..... वें दिन ..... श्री भरत सिंह

सक्षम अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जोन 2 जयपुर।

उपायुक्त
जोन 2
सक्षम अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

एवं

पट्टेदार द्वारा कार्यालय, जयपुर विकास प्राधिकरण,

जयपुर में निम्न साक्षी की उपस्थिति में हस्ताक्षर हमीरमल पारीक (मु. 30) किये।

उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम

उप पंजीयक जयपुर–प्रथम राजस्थान

Bansiri

पट्टेदार के हस्ताक्षर

साक्षी :-

1. नाम सोमवीर सिंह

पिता/पति का नाम स्व. श्री माला सिंह

व्यवसाय व्यापार

निवास स्थान 129, राजेन्द्र नगर सिरसी रोड जयपुर

Sang

साक्षी के हस्ताक्षर

2. नाम जगदीश प्रसाद सोनी

पिता/पति का नाम स्व. श्री रामेश्वर लाल

व्यवसाय व्यापार

निवास स्थान 157, रंगासागर कालोनी सिरसी रोड जयपुर

साक्षी के हस्ताक्षर

SITE PLAN OF PLOT No. 156

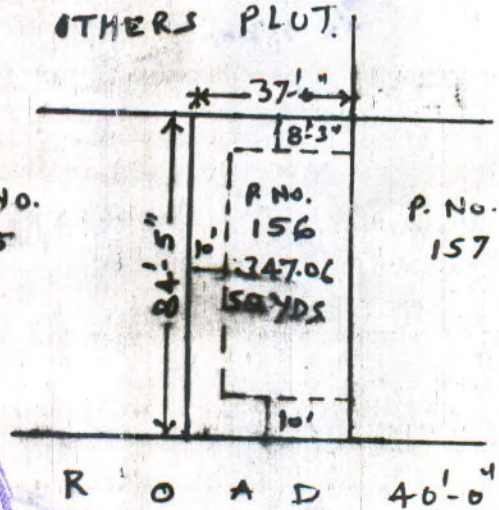
SCHEME MALHOTRA NAGAR (GULAB BARI) G.H.S.S.

AREA 347.06 SQ.YDS.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS

SCALE :- 1" = 50' FT.

N



SITE ENGINEER

TOWN PLANNING ASSISTANT/ATP

29/10/10

DY C. CONVERSSION

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

आज दिनांक 6/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 576
में पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 2010051007653पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 2301
के पृष्ठ संख्या 214 से 222
पर चस्पा किया गया।

(2010051012298) उप पंजीयक, JAIPUR-I
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम



राजस्थान RAJASTHAN

B 106957

कार्यालय उप पंजीयक जयपुर-प्रथम

गुलाबबाड़ी गृह नि.स.स. का याजना के भूखण्ड सं. 156 मकान नं. 347.06 ब.मी. के लीजडीड हेतु वांछित स्टाम्प रु. 1000+10 के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त
जोन 2
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम

क्रम सं 562 विक्रय का दिनांक 27 OCT 2010

मुद्रांकों का मूल्यांकन 1000/-

क्रेता

पिता एवं पति

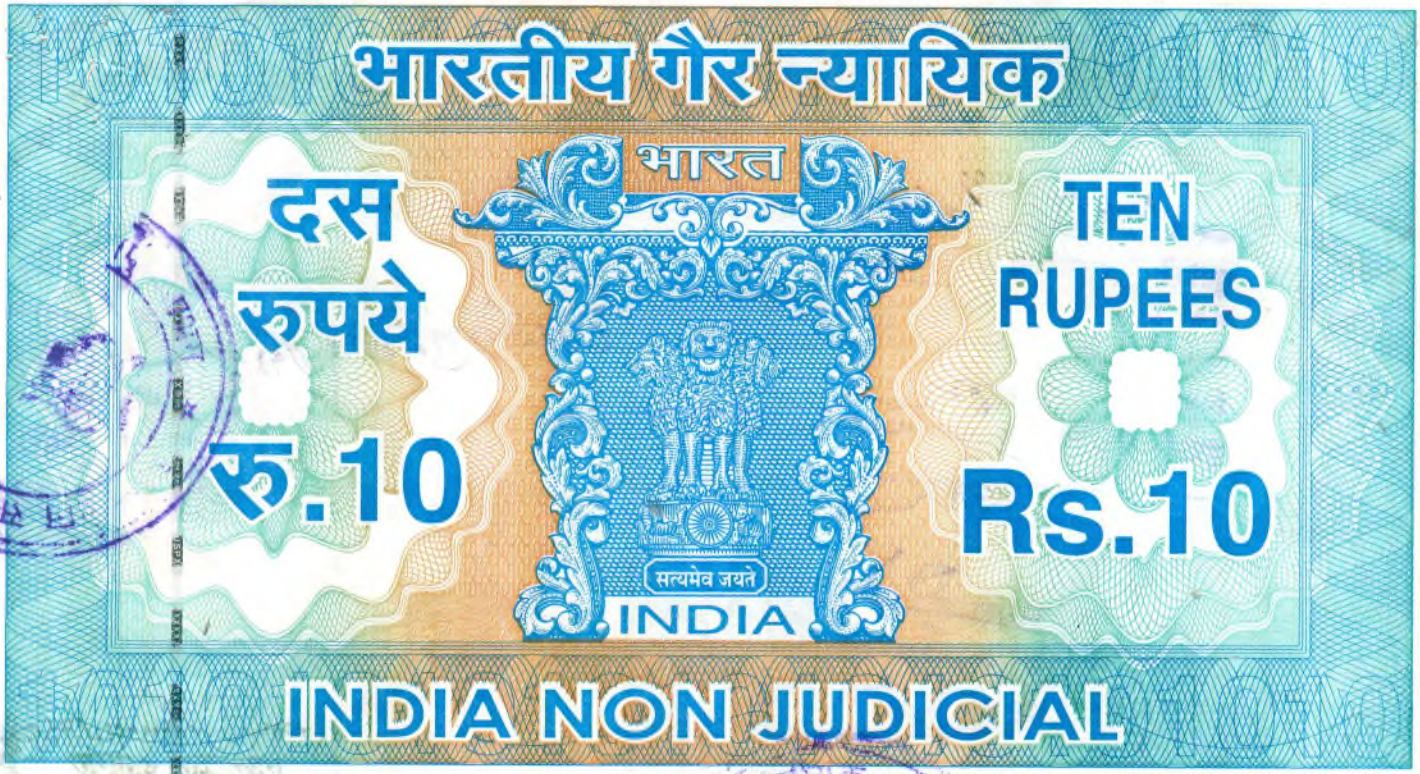
निवासी

मुद्रांक खरीदने एवं सम्बन्धित कार्य का मूल्यांक

562

प्रमोद कुमार तिवाड़ी
हा. स्टाम्प विक्रेता
जे. डी.
ला.

कार्यालय
2 अति



राजस्थान RAJASTHAN

31AA 367968

गुलाबपुरी गृह नि.स.स. का योजना
के भूखण्ड सं. 156
क्षेत्रफल 347.66 व.गज के लीजडीड हेतु
वांछित स्टाम्प रु. 100+10
के प्रपत्र संलग्न है।

उपायुक्त
जोन 2
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर-प्रथम

क्रम सं 563 विक्रय का दिनांक 27 OCT 2010

मुद्रांकों का मूल्यांकन 10

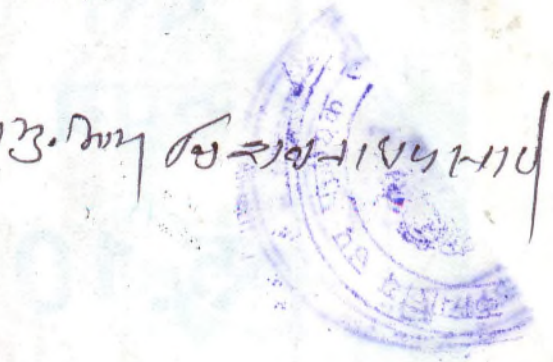
क्रेता का नाम

पिता एवं पति

निवासी

मुद्रांक खरीदने एवं सम्बन्धित कार्य का मूल्यांकन

उमेश कुमार तिवाड़ी
ला. स्टाम्प विक्रेता
जे. डी. ए. परिसर जयपुर
ला. न. 67/09-10





आज दिनांक 6 माह दिसम्बर सन् 2010 को 02:59 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHV NATH PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र _____ वर्ष, जाति HINDU व्यवसाय BUSINESS
निवासी 156- MALHOTRA NAGAR JAIPUR , RAJ AS. GPA. BIRDI DEVI PANSARI
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010051012298)
(Lease deed for local bodies (Patta))

हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-I
उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम

रसीद नं0	[2010051012545]
दिनांक	[6-12-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	360
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	200
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	420
कुल योग रू0	980

(2010051012298) उपपंजीयक,JAIPUR-I
((Lease deed for local bodies (Patta))
उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -VISHV NATH PANSARI / PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र -0 वर्ष जाति - HINDU , व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - 156- MALHOTRA NAGAR JAIPUR , RAJ AS. GPA. BIRDI DEVI PANSARI



(And Claiment)
1 -JDA / .
उम्र -0 वर्ष जाति - null व्यवसाय -SERVICE
निवासी -JAIPUR

ने लेख्यपत्र Lease deed for local bodies (Patta) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू0 35237 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू0 35237 /- पूर्व में ---------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SOMVEER SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री MAL SINGH
उम्र -46 वर्ष जाति-HINSU व्यवसाय -BUSINESS
निवासी 112- RAJENDRA NAGAR .JAIPUR .RAJ

ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 35237
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 420 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 360 कुल रूपये 780 जरिये रसीद सं
ख्या [2010051012545]
दिनांक [6-12-2010] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 1420
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2010051012298) उप पंजीयक, JAIPUR-I
(Lease deed for local bodies (Patta))

उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम

आज दिनांक 6/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 576
में पृष्ठ संख्या 166 क्रम संख्या 2010051007653पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 230
के पृष्ठ संख्या 214 से 222
पर चस्पा किया गया।

उप पंजीयक जयपुर–प्रथम

(2010051012298) उप पंजीयक, JAIPUR-I
Lease deed for local bodies (Patta)

उप पंजीयक
जयपुर–प्रथम

Stamps and Registration Department
OFFICE OF SUB REGISTRAR SR VII
JAIPUR
(Rule 75 & 131)
FEE RECEIPT

Fee Receipt No	2010400004785	Date		19/07/2010	
Presenter Name	SMT. BIRDI DEVI PANSARI	Document S. No		2010400004702	
Presenter/Property Address	SUNDAR NAGAR, JAMSHEDPUR, nullnull				
Document Type	Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)				
Claiment Name	SH. VISHVANATH PANSARI			Payment Mode	Cash
Face Value	0	Evaluated Value	1407542	Stamp Value	100

Ord- registration fee	14080	commssion	0
csi_more_50000	300	custody	0
stamp(memorandom)	0	reg(memorandom)	0
Penalty	0	us_57	0
stamp duty	28060	us_62	0
us_25_34	0	others	0
us_64_67	0	Inspection_fee	0
		Total :	42440

Forty Two Thousand Four Hundred Forty Only

Cashier

Sub Registrar JAIPUR-VII



:: मुख्त्यारनामा आम ::-

मैं, **श्रीमती बिरधी देवी पंसारी** धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बंशीधर पंसारी, जाति महाजन, निवासिनी सुन्दर नगर, जमशेदपुर की हूँ।

जो कि गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजि. नम्बर 2564/एल द्वारा विकसित की गई योजना मल्होत्रा नगर, विश्वकर्मा, सीकर रोड़, जयपुर में एक प्लाट नम्बर 156 बहैसियत दरोबस्त उत्तरमुखी स्थित है। उक्त प्लाट की नाप पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर 37 फीट है तथा उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर 90 फीट है, जिसका कुल क्षेत्रफल 370 वर्गगज है। उक्त प्लाट की चारों सीमाओं में पूर्व दिशा की ओर प्लाट नम्बर 155 मिला हुआ है, पश्चिम दिशा की ओर प्लाट नम्बर 157 मिला हुआ है, उत्तर दिशा की ओर रास्ता सरकारी आमदरफ्त 30 फीट चौड़ा है तथा दक्षिण दिशा की ओर अन्य सम्पत्ति स्थित है।

बिरधी देवी

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम

19 JUL 2010

क्रमांक 1715 दिनांक .....

मुद्रांक ... 100/-

श्रीमती किरण देवी पंवार

पत्नी श्री वीरेन्द्र सिंह पंवार

निवासी सुन्दर नगर, जगतपुरा

मुकदमा वसीयत कार्य

का मूल्यांकन ... रु० अंकों में

चेतन शर्मा

ओथ कमिश्नर

[illegible] कोर्ट

[illegible] 19.10

[illegible] चैम्बर

[illegible] टोंडमल

[illegible], जयपुर

यह कि उपरोक्त वर्णित प्लाट नम्बर 156, मल्हौत्रा नगर, विश्वकर्मा, सीकर रोड़, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 370 वर्गगज की भूमि सर्वप्रथम मेरे पति श्री बंशीधर पंसारी के हित में उक्त गुलाब बाड़ी भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजि. नम्बर 2564/एल के द्वारा जरिये आवंटन पत्र दिनांक 25 अक्टूबर सन् 2008 ईस्वी के द्वारा आवंटित किया गया, जिसकी बाबत समिति द्वारा चाही गई सम्पूर्ण राशियाँ श्री बंशीधर पंसारी ने उक्त समिति मे निमयानुसार जमा करवा कर उक्त वर्णित प्लाट का भौतिक कब्जा मौके पर उक्त समिति से प्राप्त कर लिया। इस प्रकार श्री बंशीधर पंसारी उपरोक्त वर्णित प्लाट के एकमात्र मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी हुये। इसके पश्चात श्री बंशीधर पंसारी का स्वर्गवास दिनांक 08 फरवरी सन् 2001 ईस्वी को निर्वसियत हो गया और उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके द्वारा छोड़ी हुई उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति की मैं उनकी धर्मपत्नी एवं चि0 रमेश कुमार पंसारी एवं चि0 कैलाश चन्द पंसारी उनके पुत्रान कानूनी उत्तराधिकारीगण होकर उत्तराधिकारस्वरूप बहिस्सा बराबर-बराबर अर्थात प्रत्येक अविभाजित 1/3 हिस्से के मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी हुये। इसके पश्चात चि0 रमेश कुमार पंसारी का स्वर्गवास दिनांक 23 दिसम्बर सन् 2009 ईस्वी को निर्वसियत हो गया। चि0 रमेश कुमार पंसारी के स्वर्गवास के पश्चात उनके द्वारा छोड़ो गये अविभाजित 1/3 हिस्से सम्पत्ति की उसकी धर्मपत्नी श्री अंजना पंसारी, उसका नाबालिग पुत्र चि0 कुशल पंसारी व नाबालिग पुत्री खुशी पंसारी कानूनी उत्तराधिकारीगण होकर उत्तराधिकार स्वरूप मालिक काबिज, स्वामी व अधिकारी हुये। इसके पश्चात चि0 कैलाश चन्द पंसारी ने अपने अविभाजित 1/3 हिस्से एवं श्रीमती अंजना पंसारी बहैसियत स्वयं व बहैसियत संरक्षिका नैसर्गिग माता चि0 कुशल पंसारी व खुशी पंसारी ने अपने अविभाजित 1/3 हिस्से को जरिये हक त्याग पत्र लिखा हुआ दिनांक 19 जुलाई सन् 2010 ईस्वी जिसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय जयपुर सप्तम के यहाँ पंजीयन क्रमांक 2010500003687 पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 1023 के पृष्ठ संख्या 175 पर दिनांक 19 जुलाई सन् 2010 ईस्वी को पंजीबद्ध हुआ है एवं दस्तावेज की प्रतिलिपि अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 412 के पृष्ठ संख्या 257 से 265 पर चस्पा हुई है के द्वारा मेरे हक मे छोड़ दिया।

बिमला देवी

endorsement by presenter

आज दिनांक 19 माह जुलाई सन् 2010 को 01:28 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री SMT. BIRDI DEVI PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE. SH. BANSHIDHAR PANSARI
उम्र 70 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय HOUSE WIFE
निवासी SUNDAR NAGAR, JAMSHEDPUR, null null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।



बिरदी देवी

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010400004702)

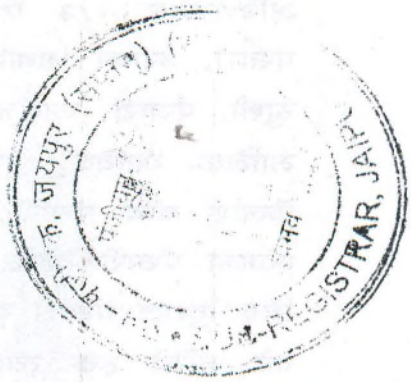
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-VII
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम

रसीद नं0	[2010400004785]
दिनांक	[19-7-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	14080
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	28060
कुल योग रू0	42440

(2010400004702) उपपंजीयक,JAIPUR-VII
((Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)))

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम



इस प्रकार उपरोक्त वर्णित प्लाट नम्बर 156 कुल क्षेत्रफल 370 वर्गगज की मैं बिना किसी अन्य व्यक्ति, पारिवारिक सदस्य के सीर एवं साझे व हिस्से के एकमात्र मालकिन, काबिज, स्वामिनी व स्वत्वाधिकारिणी हूँ व मुझे उपरोक्त वर्णित प्लाट सम्पूर्ण को विक्रय द्वारा हस्तान्तरित करने के समस्त मालिकाना स्वत्वाधिकार प्राप्त हैं तथा मैंने उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति सम्पूर्ण अथवा उसके किसी हित व अंश को आज तक रहन, विक्रय, बख्शीश, त्याग इत्यादि द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, बैंक, सरकार अथवा संस्था आदि के हित में हस्तान्तरित नहीं किया है तथा उपरोक्त वर्णित प्लाट मेरी ओर से सभी प्रकार के ऋण भार, कर्जा, कुर्की, वाद-विवाद इत्यादि सरकारी व जनसाधारण से पूर्णतया मुक्त पाक व साफ है।

यह कि मैं जयपुर से बाहर जमशेदपुर में निवास करती हूँ तथा अपने अन्य कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उपरोक्त वर्णित आवासीय प्लाट नम्बर 156, मल्हौत्रा नगर, विश्वकर्मा, सीकर रोड़, जयपुर कुल क्षेत्रफल 370 वर्गगज की देखभाल करने व उससे सम्बन्धित कार्यवाही करने में असमर्थ हूँ, इसलिये इस मुख्त्यारनामा आम के द्वारा मैं मेरे भतीजे **श्री विश्वनाथ पंसारी** आयु 46 वर्ष सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रभु दयाल पंसारी, जाति महाजन, निवासी प्लाट नम्बर ए-13, लोक विहार, प्रीतमपुरा, दिल्ली को अपना मुख्त्यारआम नियुक्त कर अधिकार देती हूँ कि उक्त मुख्त्यारआम मेरी ओर से मेरे स्वामित्व के उपरोक्त वर्णित आवासीय प्लाट की बाबत समस्त प्रकार की लिखित व मौखिक कार्यवाही करे, उक्त प्लाट विक्रय करने का इकरार करे, अग्रिम राशि प्राप्त करे, मेरी ओर से हस्ताक्षर करे, विक्रय-पत्र का पंजीयन करावे, मेरी ओर से बयान देवे, विक्रय मूल्य प्राप्त करे, कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण में नियमन राशि जमा करावे, पट्टा प्राप्त करे, पट्टे का पंजीयन करावे, उपरोक्त वर्णित प्लाट पर मंजिल दर मंजिल निर्माण करावे तथा सम्बन्धित तमाम देय राशि विभागों में या उनके द्वारा नियुक्त तयशुदा बैंक में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे तथा उक्त प्लाट को प्रत्येक प्रकार से रहन, विक्रय, बख्शीश इत्यादि द्वारा हस्तान्तरित करे। उपरोक्त वर्णित प्लाट के विषय में किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाये तो उससे सम्बन्धित मेरी ओर की समस्त कार्यवाही करे, राज्य/केन्द्र सरकार के समस्त कार्यालय जो इस समय कायम है या भविष्य में कायम हो एवं समस्त कोर्ट्स जो इस समय कायम है या भविष्य में कायम हो उनके

बिरदीदेवी

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -SMT. BIRDI DEVI PANSARI / LATE. SH. BANSHIDHAR PANSARI
उम्र -70 वर्ष जाति - MAHAJAN , व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी - SUNDAR NAGAR, JAMSHEDPUR,





(And Claiment)

1 -SH. VISHVANATH PANSARI / SH. PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र -46 वर्ष जाति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -A-13, LOK VIHAR, PREETAM PURA, DELHI



ने लेख्यपत्र Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रु0 _____ पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे से रु0_____ पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री SH. KAILASH CHAND PANSARI
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SH. BASIDHAR PANSARI
उम्र -36 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -SERVICE
निवासी SUNDAR NAGAR, JAMSHEDPUR, ,,



2- श्री/श्रीमती/सुश्री SMT. ANJANA PANSARI
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SH. RAMESH CHAND PANSARI
उम्र -38 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -HOUSE WIFE
निवासी SUNDAR NAGAR, JAMSHEDPUR, ,,

Anjana Pansari



ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

उप पंजीयक, JAIPUR-VII

(2010400004702)
Power of Attorney for Sale of immovable property
(other than blood)

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम



उक्त वर्णित प्लाट से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही करे। किसी प्रकार का दावा, जवाबदावा, राजीनामा, उज्रदारी, बाजदायरी, तरमीमदावा, निगरानी, इजराय, डिक्री, कुर्की, मतालावा, वसूली आदि की समस्त कार्यवाही करे, इसके लिये किसी एडवोकेट को नियुक्त कर मेहनताना देवे या पृथक करे।

सारांश यह है कि, उपरोक्त वर्णित आवासीय प्लाट नम्बर 156, मल्हौत्रा नगर, विश्वकर्मा, सीकर रोड़, जयपुर से सम्बन्धित जो कार्यवाही, पैरवी व जवाब देही मेरे स्वयं के करने की हो वह समस्त कार्यवाही उक्त मुख्त्यारआम को करने का हक व अधिकार होगा। मुख्त्यारआम द्वारा मेरे उपरोक्त वर्णित आवासीय प्लाट के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही मुझे मेरे स्वयं के द्वारा की हुई कार्यवाही के समान स्वीकार व अंगीकार होगी।

अतः यह मुख्त्यारनामा आम मैंने अपनी राजी, खुशी, होश हवाश व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी नशे, पते, जोर व जब्र के स्वेच्छा से 100/- रूपये के एक किता मुद्रा पत्र व तीन किता ग्रीन पेपर्स पर टाईप करवा कर पढ़, सुन, सोच व समझकर समक्ष गवाहान् अपने हस्ताक्षरों से निष्पादित कर दिया है, कि सनद् रहे और वक्त जरूरत काम आवें। इति। दिनांक 19 जुलाई सन् 2010 ईस्वी।

हस्ताक्षर निष्पादनकर्त्ता :-

बिरधी देवी

(श्रीमती बिरधी देवी पंसारी)



(1) हस्ताक्षर गवाह

नाम :- कैलाश चन्द पंसारी

पिता का नाम :- स्व0 श्री बंशीधर पंसारी

पता :- सुन्दर नगर, जमशेदपुर।



(2) हस्ताक्षर गवाह

नाम :- श्रीमती अंजना पंसारी

पति का नाम :- स्व0 श्री रमेश चन्द पंसारी

पता :- सुन्दर नगर, जमशेदपुर।

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 1407542
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 28060 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 14080 कुल रूपये 42140 जरिये रसीद संख्या [2010400004785]
दिनांक [19-7-2010] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 28160
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2010400004702) उप पंजीयक, JAIPUR-VII
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम

आज दिनांक 19/7/2010 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 13
में पृष्ठ संख्या 109 क्रम संख्या 2010400000206पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 26
के पृष्ठ संख्या 78 से 85
पर चस्पा किया गया।

(2010400004702) उप पंजीयक, JAIPUR-VII
Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)

उप पंजीयक
जयपुर, सप्तम

156

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

06 DEC 2010

135399





SUB-REGISTRAR

सत्यमेव जयते

—: विक्रय–पत्र :—

यह विक्रय–पत्र आज दिनांक 07 दिसम्बर, 2010 को **बिरधी देवी पंसारी** धर्मपत्नि स्वर्गीय श्री बंशीधर पंसारी, जाति– अग्रवाल महाजन, निवासी– सुन्दर नगर, जमशेदपुर, जरिये– मुखत्यार, **श्री विश्वनाथ पंसारी** पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल पंसारी, आयु 47 वर्ष, जाति– महाजन, निवासी– प्लॉट नम्बर– ए–13, लोक विहार, प्रितमपुरा, दिल्ली, जिन्हें इस विक्रय–पत्र में **"प्रथम पक्ष"** कहकर सम्बोधित किया गया है, (जिस शब्द में इनके उत्तराधिकारी, स्थानापन्न इत्यादि सम्मिलित समझे जाएंगें) **एवम् मैसर्स "ऐश्वर्या"** भागीदारी फर्म,

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

Photo Copy Taken

NOTARY
Madhuri Tiwari
Advocate
DIST. OF INDIA

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (RAJ.)

06 FEB 2013

For M/S AISHWARYA

Partner

7 DEC 2010

क्र. सं. 18343 दिनांक

नाम

किसे का मैसर्स एरवर्या

निवासी जिला जयपुर

मुद्रांक का मूल्य 60000/-

गुप्ता

स्टाम्प विक्रेता

लाइसेन्स नं. 21/96

जिलाधीश कार्यालय, जयपुर

SUB-REGST

NOTARY

(INDIA)

NOTARY PUBLIC

JAIPUR CITY (RAJ.)



राजस्थान RAJASTHAN

135400

SUB-REGISTRAR, JAIPUR-V

जरिये– भागीदार, **विष्णुहरि लाठ** पुत्र श्री हरद्वारी लाल लाठ, आयु 57 वर्ष, निवासी– 3/299, विद्याधर नगर, जयपुर, जिसे इस विक्रय पत्र में **"द्वितीय पक्ष क्रेता"** कहकर सम्बोधित किया गया है । जिस शब्द में इसके उत्तराधिकारी, स्थापन्न, व्यवस्थापक, भागीदार आदि सम्मिलित समझे जायेंगे) के मध्य निष्पादित किया जाता है ।

जो कि जयपुर नगर चौकड़ी हवाली गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर रजिस्टर्ड नं0 2564/एल की आवासीय योजना मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर में एक प्लॉट संख्या–156 उक्त सहकारी समिति द्वारा स्वर्गीय श्री बंशीधर पंसारी के नाम आवंटित किया गया था। यह प्लॉट पूर्व–पश्चिम 37 फिट, उत्तर–दक्षिण 90 फिट, जिसका कुल क्षेत्रफल 377.77 वर्गगज था।

सब राजस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गुलाबबाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की "मल्होत्रा नगर" योजना को स्वीकृत करते हुए प्लॉट संख्या–156

For M/S AISHWARYA

Partner

Photo Copy Attested

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (RAJ.)

06 FEB 2013

07 DEC 2010

प. सं. 18343

नाम ..... मेसर्स एडवर्टाइजिंग

निवासी .....

मुद्रांक का मूल्य ..... 60000/- दिल्ली

हस्ताक्षर

जिलाधीश कार्यालय, जयपुर

NOTARY
GOVT. OF INDIA



658521

पूर्व–पश्चिम 37 फिट, उत्तर–दक्षिण 85 फिट, कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज हो गया, जिसका सम्पूर्ण विवरण विक्रय–पत्र के अन्त में दर्शित किया गया है, जिसे संलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शित किया गया है। संलग्न नक्शा, विक्रय–पत्र का अभिन्न अंग होगा।

जो कि बंशीधर पंसारी का दिनांक 08–02–2001 को स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास के समय उनके वारिसान में उनकी धर्मपत्नि– श्रीमती बिरधी देवी पंसारी, पुत्रान– श्री रमेश कुमार पंसारी एवम् श्री कैलाश चन्द पंसारी थे, जो श्री बंशीधर पंसारी के स्वर्गवास के पश्चात् उक्त भूखण्ड संख्या–155 के बराबर–बराबर अर्थात् प्रत्येक अविभाजित 1/3 हिस्से के मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी हुए। तत्पश्चात् श्री रमेश कुमार पंसारी पुत्र स्व0 श्री बंशीधर पंसारी का स्वर्गवास दिनांक 23–12–2009 को हो गया। श्री रमेश कुमार पंसारी के स्वर्गवास के पश्चात् उनके द्वारा उक्त भूखण्ड संख्या–156 में छोड़े गये 1/3 हिस्से सम्पत्ति की उसकी धर्मपत्नि श्री अंजना पंसारी, नाबालिग पुत्र चि0 कुशल पंसारी व नाबालिग पुत्री खुशी पंसारी कानूनी उत्तराधिकारीगण होकर उत्तराधिकार स्वरूप मालिक, काबिज, स्वामी व अधिकारी हुये।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

For M/S AISHWARYA
Partner

Photo Copy

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (Raj.)

06 FEB 2013

18343

07 DEC 2010

भागने एटर्नी।

60000/ दिल्ली कलकत्ता

देवानी









उप-पंजीयक, जयपुर (पंचम) (राज.)
पंजीयन विभाग
सत्यमेव जयते
SUB-REGISTRAR JAIPUR-V

जो कि श्री बंशीधर पंसारी व श्री रमेश कुमार पंसारी के स्वर्गवास होने के पश्चात्, श्री बंशीधर पंसारी के पुत्र श्री कैलाश चन्द पंसारी ने उक्त प्लॉट संख्या–156 में अपने 1/3 हिस्से एवम् श्रीमती अंजना पंसारी धर्मपत्नि स्व0 श्री रमेश कुमार पंसारी ने स्वयम् व बहैसियत संरक्षिका नैसर्गिक मातां– कि0 कुशल पंसारी व खुशी पंसारी, उक्त प्लॉट संख्या–156 में अपने 1/3 हिस्से को जरिये हक त्याग–पत्र दिनांकित 19–7–2010, बिरधी देवी के हक में समस्त हक–हकूक त्याग दिये। हक त्याग–पत्र दिनांक 19–07–2010 को उप–पंजीयक, जयपुर – सप्तम के यहाँ पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 103 के पृष्ठ संख्या 175 पर क्रम संख्या 2010400003687 पर पंजीबद्ध हुआ, जो अतिरिक्त पुस्तक संख्या–01 जिल्द संख्या–412 के पृष्ठ संख्या–257 से 264 पर चस्पा हुई।

जो कि बिरधी देवी के हक में त्याग–पत्र होने के पश्चात्, बिरधी देवी द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा दिनांक 3–11–2010 को बिरधी देवी के हक में पट्टा विलेख जारी किया गया, जो उप पंजीयक– प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीबद्ध हेतु दिनांक 6–12–2010 को प्रस्तुत किया, जो पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–576 में पृष्ठ संख्या–166 क्रम संख्या–2010051007653 पर पंजीबद्ध हुआ, जो अतिरिक्त पुस्तक संख्या–1, जिल्द संख्या–2301 के पृष्ठ संख्या–214 से 222 पर चस्पा किया गया।

जो कि बिरधी देवी उक्त प्लॉट संख्या–156, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर पर एकमात्र मालिक व काबिज है। बिरधी देवी को उक्त प्लॉट को सभी प्रकार से काम में लेने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि श्रीमती बिरधी देवी पंसारी पत्नि स्वर्गीय श्री बंशीधर पंसारी द्वारा अपने स्वामित्व के प्लॉट संख्या–156, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर के सम्बन्ध में एक मुखत्यारनामा आम अपने भतीजे **श्री विश्वनाथ पंसारी** पुत्र स्व0 श्री प्रभुदयाल पंसारी, आयु 47 वर्ष, जाति– महाजन, निवासी– प्लॉट नम्बर–ए–13, लोक विहार, प्रितमपुरा, दिल्ली के हक में दिनांक 19–7–2010 को

Photo Copy Assistant

For M/S AISHWARYA
Partner

NOTARY
Manish Tiwari
Advocate
Jaipur City (Raj.)
Regn. No 4629
GOVT OF INDIA

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (RAJ.)
06 FEB 2013

आज दिनांक 7 माह दिसम्बर सन् 2010 को 02:49 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHWANATH PANSARI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र 47 वर्ष, जाति MAHAJAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी P.NO. A-13 LOK VIHAR PRITAMPURA DELHI AS GPA BIRDHI DEVI PANSARI W/O BANSHIDHAR PANSARI null
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
(2010397026602)
(Sale Deed (Conveyance deed))

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
JAIPUR-V पंचम

रसीद नं0	[2010397027502]
दिनांक	[7-12-2010]
पंजीयन शुल्क रू0	14000
प्रतिलिपि शुल्क रू0	0
पृष्ठांकन शुल्क रू0	300
अन्य शुल्क रू0	0
कमी स्टाम्प शुल्क रू0	9300
कुल योग रू0	23600

(2010397026602) उपपंजीयक JAIPUR-V
((Sale Deed (Conveyance deed)))

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

तहरीर कर तकमील किया गया, जिसे उप पंजीयक– प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीबद्ध हेतु दिनांक 19–7–2010 को प्रस्तुत किया, जो पुस्तक संख्या–4 जिल्द संख्या–13 में पृष्ठ संख्या–109 क्रम संख्या–2010400000208 पर पंजीबद्ध हुआ तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या–4, जिल्द संख्या–26 के पृष्ठ संख्या–78 से 85 पर चस्पा किया गया तथा मुखत्यारनामें द्वारा श्री विश्वनाथ पंसारी को उक्त प्लॉट के सम्बन्ध में समस्त अधिकार दिये गये। उक्त मुखत्यारनामा आम आज तक अस्तित्व में है तथा श्रीमती बिरधी देवी पंसारी जीवित है।

जो कि उक्त प्लॉट संख्या–156, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, जनसाधारण अथवा सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं वित्तीय संस्थाओं का किसी भी प्रकार का कोई भार नहीं है अर्थात् पूर्णतया पाक व साफ है।

जो कि प्रथम पक्ष को अपनी निजी आवश्यकता हेतु धन की आवश्यकता है, दूसरी ओर द्वितीय पक्ष फर्म को अपनी फर्म के आवासीय मकानात लिए उक्त भूखण्ड संख्या–156 की आवश्यकता है, जिसके तहत भूखण्ड का विक्रय मूल्य 14,00,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख रूपये) तय पाया गया। उक्त विक्रय मूल्य की समस्त राशि 14,00,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख रूपये) नकद आज विक्रय–पत्र निष्पादित होने के समय द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा कर दिये हैं, जिसे प्रथम पक्ष नकद 14,00,000/– रूपये (अक्षरे चौदह लाख रूपये) प्राप्त होना स्वीकार करता है, इस प्रकार सम्पूर्ण विक्रय मूल्य की राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को अदा कर दी गई है और अब कोई राशि विक्रय मूल्य पेटे बकाया नहीं रही है।

सह रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि विक्रयशुदा प्लॉट संख्या–156 के सम्बन्ध में लीज मनी, हाऊस टैक्स एवम् अन्य किसी भी प्रकार का टैक्स इत्यादि विक्रय–पत्र निष्पादित होने से पूर्व के यदि बकाया निकलेंगें, तो वह समस्त प्रथम पक्ष अपने पास से अदा करेगा और आज के पश्चात् उक्त सम्बन्ध में जो भी देय राशि होगी, उसकी अदायगी का दायित्व द्वितीय पक्ष क्रेता का होगा।

For M/S AISHWARYA
V. Hada
Partner

Photo Copy Attested

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (Raj.)

6 FEB 2013

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant) Signature Photo Thumb

1 -VISHWANATH PANSARI / PRABHU DAYAL PANSARI
उम्र -47 वर्ष जाति - MAHAJAN, व्यवसाय -BUSINESS
निवासी - P.NO. A-13 LOK VIHAR PRITAMPURA DELHI AS GPA BIRDHI DEVI PANSARI W/O BANSHIDHAR PANSARI





(And Claiment)

1 -VISHNU HARI LATH / HARDWARI LAL LATH
उम्र -57 वर्ष जाति - MAHAJAN व्यवसाय -BUSINESS
निवासी -P.NO. 3/299 VIDYADHAR NAGAR JAIPUR AS PARTNER M/S AISHWARYA





ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया। प्रतिफल राशी रू० 1400000 /- पूर्व में/मेरेसमक्ष / मे सें रू० 1400000 /- पूर्व में -------- मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1- श्री/श्रीमती/सुश्री MANMOHAN LATH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री HARIDWARI LAL LATH
उम्र -51 वर्ष जाति-MAHAJAN व्यवसाय -ADVOCATE
निवासी 3/299 VIDYADHAR NAGAR JAIPUR,,



2- श्री/श्रीमती/सुश्री BHANWAR SINGH
पुत्र /पुत्री /पत्नी श्री SHIV SINGH RAJAWAT
उम्र -34 वर्ष जाति-RAJPUT व्यवसाय -SERVICE
निवासी LAL HAWELI JOHARI BAZAR JAIPUR,,



ने की है जिनके समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2010397026602)
Sale Deed (Conveyance deed)

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

जो कि उक्त विक्रयशुदा प्लॉट संख्या–156, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, प्रत्येक प्रकार के भार, रहन, विक्रय, बख्शीश, कुर्की, ऋण सरकारी एवं गैर सरकारी इत्यादि के झगड़ों से पूर्णतया मुक्त एवं पवित्र है।

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति के बाबत् कोई भी व्यक्ति, उत्तराधिकारी, कम्पनी, संस्था इत्यादि आपत्ति करेगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष विक्रेता की होगी और यदि प्रथम पक्ष विक्रेता की मिल्कीयत की त्रुटि एवं कमी के कारण विक्रयशुदा सम्पत्ति या उसका कोई अंश द्वितीय पक्ष क्रेता के हक व अधिकार से निकल जावे तो द्वितीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह अपने विक्रय मूल्य की समस्त राशि मय हर्जे व खर्चे के प्रथम पक्ष विक्रेता की समस्त प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करे।

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति में आज तक जो हक व हकूक प्रथम पक्ष विक्रेता के थे, वे समस्त द्वितीय पक्ष क्रेता को प्राप्त हो गये हैं अब विक्रयशुदा सम्पत्ति से प्रथम पक्ष विक्रेता अथवा उसके किसी भी वारिसान का कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहा है।

जो कि विक्रयशुदा उक्त प्लॉट संख्या–156 में अब द्वितीय पक्ष को पानी, बिजली, टेलीफोन व अन्य कनेक्शन अपने नाम से लेने का अधिकार होगा, इसमें प्रथम पक्ष को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी ।

जो कि द्वितीय पक्ष को विक्रय पत्र के जरिये सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों इत्यादि के रेकार्ड में अपना नाम बतौर मालिक दर्ज करवाने के समस्त अधिकार प्राप्त हो चुके हैं और द्वितीय पक्ष क्रेता, प्रथम पक्ष विक्रेता के समान मालिक व अधिकारी हो चुके हैं और विक्रयशुदा सम्पत्ति को हर प्रकार से काम में लेने, फायदा उठाने, रहन, विक्रय, बख्शीश तथा सभी प्रकार से हस्तान्तरित करने हेतु समस्त अधिकार प्राप्त हो गये हैं।

सब रजिस्ट्रार, जयपुर

For M/S AISHWARYA

Partner

Photo Copy

NOTARY
Madhuri Tiwari
Advocate
JAIPUR CITY (Raj.)
Regd. No. 4829
OF INDIA

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY 'RAJ.'

26 FEB 2013

धारा 54 के तहत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि इस लेख पत्र
की मालियत रूपये 1400000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 9300 पर कमी पंजीयन शुल्क रूपये 14000 कुल रूपये 23300 जरिये रसीद संख्या [2010397027502]
दिनांक [7-12-2010] में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 69300
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

सब रजिस्ट्रार जयपुर

(2010397026602) उप पंजीयक, JAIPUR-V
(Sale Deed (Conveyance deed)) पंचम

आज दिनांक 7/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 371
में पृष्ठ संख्या 123 क्रम संख्या 2010397013958पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1483
के पृष्ठ संख्या 237 से 250
पर चस्पा किया गया।

(2010397026602) उप पंजीयक, JAIPUR-V
Sale Deed (Conveyance deed) सब रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

NOTARY GOVT. OF INDIA

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता ने आज द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रयशुदा सम्पत्ति से सम्बन्धित समस्त असल दस्तावेजात सम्भलवा दिये हैं, जिसे द्वितीय पक्ष क्रेता प्राप्त होना स्वीकार करता हैं तथा प्रथम पक्ष विक्रेता ने द्वितीय पक्ष क्रेता को विक्रयशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा भी आज करा दिया है, जिसे भी द्वितीय पक्ष क्रेता प्राप्त होना स्वीकार करते हैं।

जो कि विक्रयशुदा सम्पत्ति की मिल्कीयत व मालिकाना हक व हकूक के बाबत् यदि गवाही इत्यादि की आवश्यकता होगी, तो इसके लिए प्रथम पक्ष विक्रेता सदैव तैयार रहेगा और यथोचित कानूनी सहयोग देने के लिए बाध्य रहेंगें।

जो कि इस विक्रय–पत्र से सम्बन्धित समस्त प्रकार के खर्चे– स्टाम्प, पंजीयन इत्यादि द्वितीय पक्ष क्रेता द्वारा वहन किये गये हैं।

जो कि प्रथम पक्ष विक्रेता का पेन नम्बर– **AEJPP3242C** तंथा द्वितीय पक्ष क्रेता के पेन नम्बर–**AASFA4650L** हैं।

विक्रयशुदा सम्पत्ति का विवरण

वाके शहर जयपुर चौकड़ी हवाली शहर स्थित प्लॉट संख्या–156, मल्होत्रा नगर, सीकर रोड़, जयपुर, जिसका कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज है, जिसे विक्रय–पत्र के संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है। मानचित्र विक्रय–पत्र का अभिन्न अंग है। विक्रयशुदा उक्त प्लॉट संख्या–156 की चतुर्सीमाएं निम्न प्रकार हैं:–

पूर्व में	:	प्लॉट संख्या–155
पश्चिम में	:	प्लॉट संख्या–157
उत्तर में	:	रोड़ 40 फुट
दक्षिण में	:	अन्य प्लॉट

सब रजिस्ट्रार, जयपुर पंचम

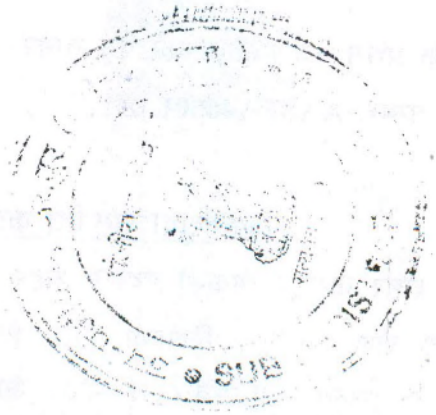
Photo Copy Attested

Madhuri Tiwari Advocate JAIPUR CITY (Raj.) Regd. No 4829 NOTARY PUBLIC JAIPUR CITY 'Raj.' 6 FEB 2013

For M/S AISHWARYA

Partner





अतः यह विक्रय–पत्र 60,000/– रूपये (अक्षरे साठ हजार रूपये) कीमती स्टाम्प किता तीन एवम् पाँच हरे पेपरों पर पक्षकारान ने अपने स्वस्थ चित्त एवम् स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अनुचित दबाव के तथा पूर्ण होश–हवास में, समक्ष गवाहान तहरीर कर तकमील कर दिया है, सो सनद रहे और वक्त जरूरत काम आवे। इतिश्री।

(बिरधी देवी बंसारी)
जरिये– मुखत्यारआम

(विश्वनाथ पंसारी)
प्रथम पक्ष विक्रेता

मैसर्स ऐश्वर्या
जरिये– भागीदार

(विष्णु हरि लाठ)
द्वितीय पक्ष क्रेता

गवाहान :

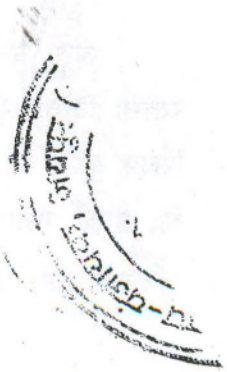
(1)
(Maunohan Sts)
S/o Sh-H Lath
8/288 Vidyadhar Nagar
Jaipur

(2)
भंवरे सिंह
S/O शिव सिंह गंगवा
म. नं. 4033 बाल हवेली
गोदी बाजार जयपुर

सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

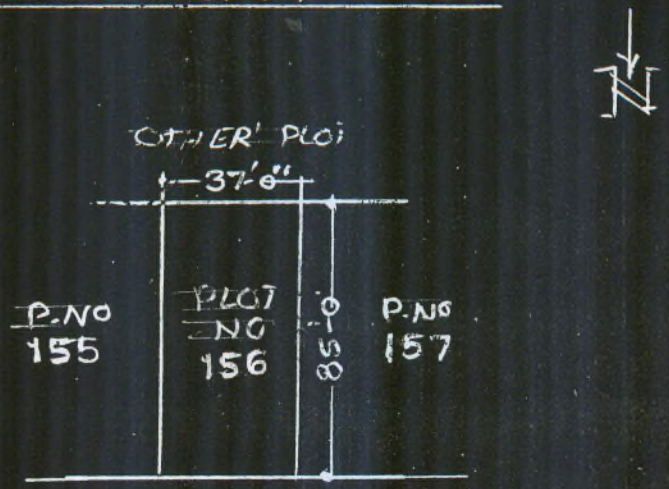
Photo Copy Attested

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (RAJ.)
06 FEB 2013





SITE PLAN OF PLOT NO 156 IN MALHOTRA NAGAR, NEAR V.K.I AREA, SIKAR ROAD, JAIPUR



DEED COLOUR SHOWN TH

TOTAL AREA = 292.16 SQMTR.
(=349.44 SQYDS)

Photo Copy Attested

NOTARY PUBLIC
JAIPUR CITY (RAJ.)

6 FEB 2013

आज दिनांक 7/12/2010 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 371
में पृष्ठ संख्या 123 क्रम संख्या 2010397013958पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1483
के पृष्ठ संख्या 237 से 250
पर चस्पा किया गया।

(2010397026602)
Sale Deed (Conveyance deed)

उप पंजीयक JAIPUR-V
सब रजिस्ट्रार, जयपुर
पंचम

NOTARY
GOVT. OF INDIA

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकःजविप्रा/जोन–2/2009/डी– 600 दिनांक 8/3/11

श्री [illegible] पारीक
[illegible] पारीक
S/O [illegible]
3/249, [illegible]

विषय : भूखण्ड/~~दुकान~~/~~व्यावसायिक~~ भूखण्ड संख्या 156
योजना [illegible] ...का हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।
संदर्भ : आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.11

महोदय,

आप द्वारा प्रस्तुत भूखण्ड/~~दुकान~~/~~व्यावसायिक~~ भूखण्ड संख्या 156 योजना [illegible] के रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/मूल आवंटी के मृत्यु प्रमाण पत्र/~~वसीयत~~/~~पंजीकृत~~ वारिसान हक त्याग पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर उक्त भूखण्ड/~~दुकान~~/~~व्यावसायिक~~ भूखण्ड संख्या 156 योजना [illegible] का हस्तान्तरण आपके नाम/संयुक्त नामों से उन्हीं नियमों एवं शर्तो के आधार पर किया जाता है, जिन नियमों एवं शर्तो के आधार पर यह भूखण्ड ~~श्री~~/श्रीमती [illegible] पुत्र/पत्नि [illegible] को आवंटित किया गया था।

प्रार्थी/प्रार्थीयान के हक में उपरोक्त हस्तान्तरण केवल मात्र प्राधिकरण द्वारा मानचित्र अनुमोदन करवाने एवं प्रार्थीगण द्वारा ऋण इत्यादि प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के रिकार्ड में इन्द्राज किया जाता है। इस हस्तान्तरण से प्रार्थी/प्रार्थीयान को उपरोक्त भूखण्ड के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कानूनी हक प्राप्त नहीं होगा।

इस हस्तान्तरण से भूखण्ड के प्रति शहरी जमाबंदी की राशि में 25 प्रतिशत की बढोतरी दिनांक — से लागू हो गई है। भविष्य में भूखण्ड के प्रति बकाया राशि आप जमा करायेगें।

भवदीय

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त
जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा / जोन–2 / 2012 / डी– 323 दिनांक 24.1.13

मैसर्स एश्वर्या जरिये भागीदार श्री विष्णुहरि लाठ
पुत्र श्री हरद्वारी लाल लाठ,
निवासी 3 / 299, विद्याधर नगर,
जयपुर

विषय : गुलाबबाडी गृह निर्माण राहकारी समिति की योजना मल्हौत्रा नगर के भूखण्ड संख्या 154, 155 व 156 का पुर्नगठन बाबत।

संदर्भ : आपका आवेदन पत्र दिनांक 15.01.2013 एवं प्रशासन शहरो के संग अभियान–2012 के अन्तर्गत आवेदन पंजीयन संख्या 3032 दिनांक 22.1.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि गुलाबबाडी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मल्हौत्रा नगर के भूखण्ड संख्या 154, 155 व 156 का पुर्नगठित कुल क्षेत्रफल 1045.94 व.ग. का पुर्नगठन स्वीकृत किया जाता है। माननीय न्यायालय में विचाराधीन वाद दिनांक 09.01.2013 को निर्णय होने के पश्चात जारी किया जा रहा है।

उक्त पुर्नगठित भूखण्ड पर आवासीय प्रयोजनार्थ पैरामीटर्स निम्नानुसार देय है (भवन विनियम 2010 के अनुसार) :–

सामने	–	15 फीट
साईड–1	–	15 फिट
साईड–2	–	15 फिट
पीछे	–	15 फिट
अधिकतम आच्छादित क्षेत्र	–	सैट बैक सीमा के अन्दर जो भी हो प्राप्त हो।
अधिकतम ऊंचाई	–	12 मीटर

संलग्न : स्थल मानचित्र।

उपायुक्त, जोन–2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त
जोन - 2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SITE PLAN OF PLOT No. 154, 155, 156

SCHEME MALHOTRA NAGAR (GULAB G.N. S.S. LTD.)

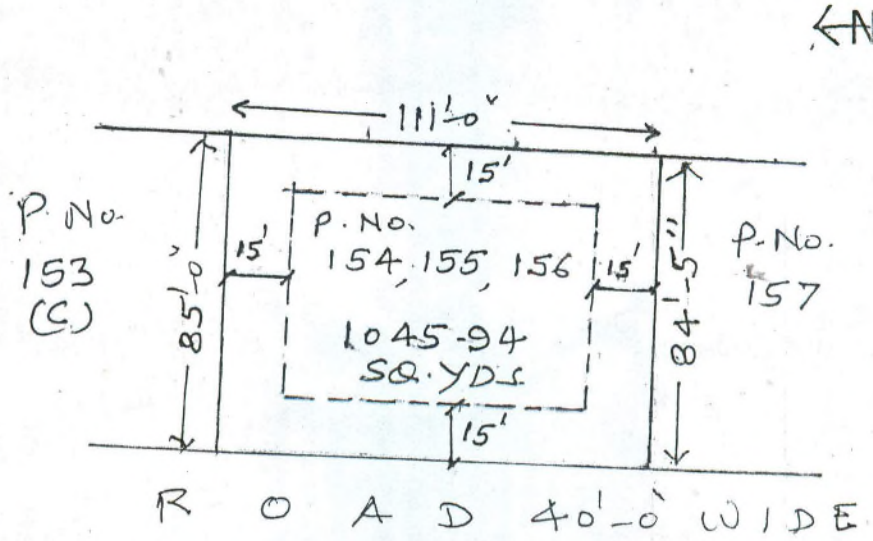
AREA 1045.94 SQ.YDS.

PERCENTAGE OF CONSTRUCTION AREA AS PER BY LAWS

HIGHT = 12.0 M

F.A.R = 1.20

SCALE :- 1" = 50' Ft



8/4/11
SITE ENGINEER

8/4/11
ATP/DTP

DY. COMMISSIONER
जोन - 2
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
JAIPUR

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : JAIPUR-V

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131) Print Date : 28-12-2021 3:15 PM

Fee Receipt No	:	202102019023302	Receipt Date	:	28/12/2021
Name	:	ADITYA VIKRAM LATH AS PARTNER MS AISHWARYA KAPISH HOMES ,	Document S. No.	:	202101019020270
Address	:	299 ,SECTOR-3 ,JAIPUR ,JAIPUR			
Document Type	:	Agreement			
Face Value	:	₹ 0	Evaluated Value	:	₹ 8181822
Ord-Registration Fee	:	₹ 81820	Fee for Memorandum Us_64_67	:	₹
CSI	:	₹ 300	Certified copying fees Us_57	:	₹ 100
Stamp (Memorandum)	:	₹	Reg (memorandum)	:	₹
Surcharge	:	₹ 30714	Stamp Duty	:	₹ 102380
Penalty	:	₹ 0	Inspection fee	:	₹ 0
Us_25_34	:	₹ 0	Commission	:	₹ 0
Custody	:	₹	Others	:	₹ 0
			Cash Amount Received	:	₹ 0
			Other than Cash	:	₹ 215314
			Total Amount	:	₹ 215314
Mode of Payment (#Mode Number Amount #)			*Rebate U/S 9(1)	:	₹ 368637

eStamp IN-RJ53398620063625T ₹ 133094 # e-Gras Challan 57002529 ₹ 82220

Signature of presenter or applicant for copy or Search certificate

Signature of recipient and date of return receipt

Cashier

SUB-REGISTRAR

INDIA NON JUDICIAL

Government of Rajasthan

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-RJ53398620063625T
Certificate Issued Date	:	28-Dec-2021 02:50 PM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ rj3063204/ JAIPUR/ RJ-JP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-RJRJ30632049742671115498 7T
Purchased by	:	MS AISHWARYA
Description of Document	:	Article 5(e) Developer Agreement (Sale power)
Property Description	:	RECONSITITUTED PLOT NO. 154 155 AND 156 MALHOTRA NAGAR NEAR VDN STADIUM JAIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	MS AISHWARYA
Second Party	:	MS AISHWARYA KAPISH HOMES
Stamp Duty Paid By	:	MS AISHWARYA
Stamp Duty Payable (Rs.)	:	1,02,380 (One Lakh Two Thousand Three Hundred And Eighty only)
Surcharge for Infrastructure Development (Rs.)	:	10,238 (Ten Thousand Two Hundred And Thirty Eight only)
Surcharge for Propagation and Conservation of Cow (Rs.)	:	20,476 (Twenty Thousand Four Hundred And Seventy Six only)
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	1,33,094 (One Lakh Thirty Three Thousand And Ninety Four only)

SUB-REGISTRAR JAIPUR-V

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

सब रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

0004795979

Statutory Alert:

e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0057002529**

Payment Date: **28/12/2021 14:51:35**

Office Name: **SUB REGISTRAR-V REGISTRATION & STAMPS, JAIPUR**
Location: JAIPUR (CITY)
Period: 01/04/2021-To-31/03/2022

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	400.00
2	0030-03-104-01-00-पंजीकरण शुल्क से प्राप्ति	81820.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**82220.00**

Eighty Two Thousand Two Hundred Twenty Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **MS AISHWARYA**		Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :	
Pan No.(If Applicable):		City(Pincode):	jaipur(000000)
Address:jaipur		Remarks:DEVELOPER AGREEMENT OF RECONSITITUTED PLOT NO. 154 155 AND 156 MALHOTRA NAGAR NEAR VDN STADIUM JAIPUR MS AISHWARYA V/S M/S AISHWARYA KAPISH HOMES	

Payment Details:

Bank:	State Bank Of India	Challan No. -	0
Date:	28/12/2021 14:51:35	Refrence No:	CKS3952969

Computer generated copy on : *28/12/2021* *Courtsy :* *https://Egras.raj.nic.in*

For M/s AISHWARYA
V. H Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES
PARTNER

उप रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम





।। श्री ।।

डवलपमेंट एग्रीमेंट

मैसर्स ऐश्वर्या, एक साझेदारी फर्म जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लाट नंबर 3/299, सेक्टर 3, विद्याधर नगर, जयपुर में स्थित है जरिए इसके साझेदार श्री विष्णुहरी लाठ, आयु 68 वर्ष, पुत्र स्वर्गीय श्री हरिद्वारी लाल लाठ, निवासी निवासी प्लाट नंबर 299, सेक्टर 3, विधाधर नगर, जयपुर; जिनको आगे चलकर भू–स्वामी / प्रथम पक्ष से सम्बोधित किया गया है जिसमें उक्त फर्म व फर्म के समस्त भागीदार, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे,

एवं

मैसर्स ऐश्वर्या कपिश होम्स, एक साझेदारी फर्म जरिए इसके पार्टनर श्री आदित्य विक्रम लाठ आयु 28 वर्ष, पुत्र श्री मनमोहन लाठ, निवासी प्लाट नंबर 299, सेक्टर 3, विधाधर नगर, जयपुर; जिनको आगे चलकर डवलपर / द्वितीय पक्ष से सम्बोधित किया गया है जिसमें उक्त फर्म व फर्म के समस्त भागीदार, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि, स्थानापन्न इत्यादि भी सम्मिलित समझे जावेंगे, के मध्य लिखा जाता है।

सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

भाग–1

परिभाषाएँ

इस डवलपमेंट एग्रीमेंट में :–

1. 'काम्पलेक्स' से तात्पर्य पुनर्गठित प्लाट नंबर 154, 155 व 156, सिविल कुल क्षेत्रफल 1045.94 वर्गगज, मल्होत्रा नगर, विद्याधर नगर स्टेडियम के पास, जयपुर–राजस्थान पर निर्मित होने वाले आवासीय बहुमंजिला भवन से है एवं इसमें होने वाला अतिरिक्त निर्माण अथवा अतिरिक्त मंजिलें भी सम्मिलित समझी जायेगी। उक्त कॉम्पलेक्स का नाम द्वितीय पक्ष निश्चित कर सकेगा।

2. 'कॉमन एरिया' एवं 'कॉमन सर्विसेज' से तात्पर्य कॉम्पलेक्स के उस हिस्से व सेवाओं से हैं जो भू–स्वामी व डवलपर की ओर से उक्त भवन के भावी मालिको अथवा आधिपत्याधारियों के कॉमन उपयोग के लिए आरक्षित किया जायेगा।

3. 'कवर्ड पार्किंग एरिया' से तात्पर्य कॉम्पलेक्स के उस हिस्से से है जो वाहनो को खडा करने के लियें आरक्षित व आवंटित किया जायेगा।

4. 'भूमि' से तात्पर्य पुनर्गठित प्लाट नंबर 154, 155 व 156, कुल क्षेत्रफल 1045.94 वर्गगज, मल्होत्रा नगर, जयपुर से है।

5. 'मेन्टीनेंस एजेंसी' से तात्पर्य कॉम्पलेक्स की मेंटीनेंस के लिये भू–स्वामी व डवलपर की ओर से नियुक्त किसी सोसायटी, एसोसिएशन, प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी ट्रस्ट अथवा अन्य संस्था इत्यादि से है।

6. पुर्लिंग शब्द में स्त्रीलिंग शब्द भी सम्मिलित समझे जायेंगे।

7. 'ओपन पार्किंग एरिया' से तात्पर्य खुली भूमि का वह क्षेत्र है जो वाहनों को खडा करने के लिये आरक्षित व आवंटित किया जायेगा।

8. 'क्रेता' से तात्पर्य एवं सम्मिलित :–

   अ. यदि क्रेता एक व्यक्तिगत है तो वह स्वयं एवं उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि।

   ब. यदि क्रेता हिन्दू अविभाजित परिवार है तो वह हिन्दू अविभाजित परिवार एवं उसका कर्ता, सहदायिक, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि।

   स. यदि क्रेता भागीदारी, कम्पनी है तो भागीदारी, कम्पनी एवं उसके समस्त निदेशक, साझेदार, उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि इत्यादि।

9. 'एकवचन' में बहुवचन भी सम्मिलित माने जायेंगे।

10. 'यूनिट' से तात्पर्य कॉम्पलेक्स में निर्मित होने वाले अपार्टमेंट/फ्लेट से है।

भाग–2

स्वत्व श्रृंखला

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

Presentation Endorsement

आज दिनांक 28 माह 12 सन् 2021 को 02:57 PM बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री VISHNUHARI LATH AS PARTNER MS AISHW RYA
पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HARIDWARI LATH
उम्र 68 वर्ष, जाति 0-MAHAJAN , व्यवसाय Business
निवासी House No.:299, Colony: SECTOR-3 , Area: VIDHYADH AR NAGAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: J/ IPUR, State: RAJASTHAN
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

V. Lath

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता
202101019020270

सब रजिस्ट्रार जय
हस्ताक्षर उप पंजीयक,
JAIPUR-V

Developer Agreement (Sale power)

Fees Receipt Endorsement

रसीद नं.	202102019023302
दिनांक	28-12-2021
पंजीयन शुल्क ₹	81820
प्रतिलिपि शुल्क ₹	100
पृष्ठांकन शुल्क ₹	300
अन्य शुल्क ₹	0
कमी स्टाम्प शुल्क ₹	102380
कमी सरचार्ज शुल्क ₹	30714
कुल योग	215314

202101019020270

उप पंजीयक, JAIPUR-V
सब रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

Developer Agreement (Sale power)

यह कि उक्त पुनर्गठित प्लाट नंबर 154, 155 व 156 की कुल नाप पूर्व–पश्चिम दक्षिणी ओर 111 फीट, उत्तर–दक्षिण पूर्वी ओर 85 फीट, पश्चिमी ओर 84 फीट 5 इंच कुल क्षेत्रफल 1045.94 वर्गगज है। इसकी चारो सीमाओं में पूर्व मे प्लाट नंबर 153 (सी) पश्चिम में प्लाट नंबर 57, उत्तर में रोड 40 फीट चौड़ी तथा दक्षिण मे अन्य का प्लाट है।

जो कि उक्त वर्णित पुनर्गठित प्लाट्स में से प्लाट नंबर 154, कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज की भूमि का कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने श्री विश्वनाथ पंसारी पुत्र श्री प्रभुदयाल पंसारी के नाम एक आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 3162 दिनांक 17.11.2009 को जारी कर दिया, जो दास्ते पंजीयन उप पंजीयक, जयपुर प्रथम के कार्यालय मे पेश होकर बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 530 के पेज नंबर 158 व पंजीयन क्रमांक 2009051009616 पर दर्ज रजिस्टर होकर व डीड की कॉपी एडिशनल बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 2117 व पेज नंबर 74 से 83 पर चस्पां होकर, दिनांक 17.11.2009 को पंजीबद्ध हुआ।

जो कि उसके पश्चात उक्त वर्णित प्लाट नंबर 154 की भूमि को उक्त श्री विश्वनाथ पंसारी से प्रथमपक्ष ने विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 07.12.2010, जो वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, जयपुर पंचम के कार्यालय मे पेश होकर बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 371 के पेज नंबर 83 व पंजीयन क्रमांक 2010397013918 पर दर्ज रजिस्टर होकर व डीड की कॉपी एडिशनल बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 1482 के पेज नंबर 403 से 414 पर चस्पां होकर, दिनांक 07.12.2010 को पंजीबद्ध हुआ, के द्वारा खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया है।

जो कि उसके पश्चात प्रथमपक्ष के आवेदन पर कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने उक्त प्लाट नंबर 154 की भूमि का नाम हस्तान्तरण प्रथमपक्ष के हित में करके पत्र क्रमांक डी–486 दिनांक 23.02.2011 को जारी कर दिया।

जो कि उपरोक्त प्रकार से उक्त वर्णित पुनर्गठित प्लाट्स में से प्लाट नंबर 155, कुल क्षेत्रफल 349.44 वर्गगज की भूमि का कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने श्री मदन लाल पुत्र श्री रामदेव जरिए मुखत्यारआम श्री विश्वनाथ पंसारी पुत्र श्री प्रभुदयाल पंसारी के नाम एक आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 3163 दिनांक 17.11.2009 को जारी कर दिया, जो वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, जयपुर प्रथम के कार्यालय मे पेश होकर बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 530 के पेज नंबर 157 व पंजीयन क्रमांक 2009051009615 पर दर्ज रजिस्टर होकर व डीड की कॉपी एडिशनल बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 2117 के पेज नंबर 64 से 73 पर चस्पां होकर, दिनांक 17.11.2009 को पंजीबद्ध हुआ।

जो कि उसके पश्चात उक्त वर्णित प्लाट नंबर 155 की भूमि को उक्त श्री मदन लाल पुत्र श्री रामदेव जरिए मुखत्यारआम श्री विश्वनाथ पंसारी से प्रथमपक्ष ने विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 07.12.2010, जो वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, जयपुर पंचम के कार्यालय मे पेश होकर बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 371 के पेज नंबर 82 व पंजीयन क्रमांक 2010397013917 पर दर्ज रजिस्टर होकर व डीड की कॉपी एडिशनल बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 1482 के पेज नंबर 391 से 402 पर चस्पां होकर, दिनांक 07.12.2010 को पंजीबद्ध हुआ, के द्वारा खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया है।

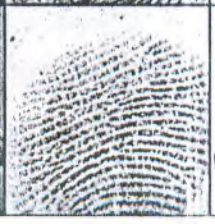
For AISHWARYA KAPISH HOMES

For M/s AISHWARYA

Partner

PARTNER

Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र		अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री VISHNUHARI LATH AS PARTNER MS AISHWARYA, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री HARIDWARI LATH , व्यवसाय Businessजाति 0-MAHAJAN House No.:299, Colony: SECTOR-3 , Area: VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN				Executant Age : 68 Signature :
2	श्री/श्रीमती/सुश्री ADITYA VIKRAM LATH AS PARTNER MS AISHWARYA KAPISH HOMES , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री MANMOHAN LATH , व्यवसाय Businessजाति 0-MAHAJAN House No.:299, Colony: SECTOR-3 , Area: VIDHYADHAR NAGAR JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302039, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN				Claimant Age : 28 Signature :

ने लेख्यपत्र Developer Agreement (Sale power) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रू 0/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रू 0/- पूर्व में ---------- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए है।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री CHETAN MEENA , पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री PREM PRAKASH MEENA जाति MEENA Age: 23 Add: House No.:0, Colony: SHASTRI NAGAR, Area: SHASTRI NAGAR , City: JAIPUR, Pin code: 302016, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री GANESH KUMAWAT, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री BHORI LAL KUMAWAT जाति KUMAWAT Age: 45 Add: House No.:0, Colony: SUBHASH CHOWK, Area: JAIPUR, City: JAIPUR, Pin code: 302002, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN			Signature

उप पंजीयक, JAIPUR-V जयपुर पंचम
सब रजिस्ट्रार

202101019020270

Developer Agreement (Sale power)

जो कि उसके पश्चात प्रथमपक्ष के आवेदन पर कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने उक्त प्लाट नंबर 155 की भूमि का नाम हस्तान्तरण प्रथमपक्ष के हित में करके पत्र क्रमांक डी–485 दिनांक 23.02.2011 को जारी कर दिया।

जो कि उपरोक्त प्रकार से उक्त वर्णित पुनर्गठित प्लाट्स में से प्लाट नंबर 156, कुल क्षेत्रफल 347.06 वर्गगज की भूमि का कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने श्रीमती बिरधी देवी पंसारी पत्नि श्री बंशीधर पंसारी जरिए मुखत्यारआम श्री विश्वनाथ पंसारी पुत्र श्री प्रभुदयाल पंसारी के नाम एक आवंटन/विक्रय पत्र संख्या 3233 दिनांक 03.11.2010 को जारी कर दिया, जो वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, जयपुर प्रथम के कार्यालय मे पेश होकर बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 576 के पेज नंबर 166 व पंजीयन क्रमांक 2010051007653 पर दर्ज रजिस्टर होकर व डीड की कॉपी एडिशनल बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 2301 के पेज नंबर 214 से 222 पर चस्पां होकर, दिनांक 06.12.2010 को पंजीबद्ध हुआ।

जो कि उसके पश्चात उक्त वर्णित प्लाट नंबर 156 की भूमि को उक्त श्रीमती बिरधी देवी पंसारी जरिए मुखत्यारआम श्री विश्वनाथ पंसारी से प्रथमपक्ष ने विक्रय पत्र लिखा हुआ दिनांक 07.12.2010, जो वास्ते पंजीयन उप पंजीयक, जयपुर पंचम के कार्यालय मे पेश होकर बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 371 के पेज नंबर 123 व पंजीयन क्रमांक 2010397013958 पर दर्ज रजिस्टर होकर व डीड की कॉपी एडिशनल बुक नंबर 1 वाल्यूम नंबर 1483 के पेज नंबर 237 से 250 पर चस्पां होकर, दिनांक 07.12.2010 को पंजीबद्ध हुआ, के द्वारा खरीद करके कब्जा प्राप्त कर लिया है।

जो कि उसके पश्चात प्रथमपक्ष के आवेदन पर कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने उक्त प्लाट नंबर 156 की भूमि का नाम हस्तान्तरण प्रथमपक्ष के हित में करके पत्र क्रमांक डी–600 दिनांक 08.03.2011 को जारी कर दिया।

जो कि उसके पश्चात प्रथमपक्ष ने उक्त वर्णित तीनों प्लाट्स को पुनर्गठित कराने बाबत कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में आवेदन कर दिया तथा कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण ने नियमानुसार उक्त वर्णित प्लाट्स को पुनर्गठित करके पत्र क्रमांक डी–323 दिनांक 24.01.2013 को प्रथमपक्ष के नाम जारी कर दिया है।

जो कि इस तरह उक्त वर्णित पुनर्गठित प्लाट नंबर 154, 155 व 156, कुल क्षेत्रफल 1045.94 वर्गगज बहैसियत दरोबस्त का प्रथमपक्ष बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर व साझे के एकमात्र मालिक, अधिकारी व काबिज है।

जो कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने यह निश्चय किया है कि उक्त प्लॉट पर एक बहुमंजिला आवासीय कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जाये, इस संबध में भू– स्वामी ने डवलपर द्वितीयपक्ष से उक्त प्लॉट पर एक बहुमंजिला आवासीय कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाने हेतु सम्पर्क किया।

यह कि डवलपर द्वितीयपक्ष एक रजिस्टर्ड फर्म है जो भवन निर्माण का व्यापार करती है एवं इसके समस्त भागीदार तकनीकी रुप से दक्ष है एवं उक्त फर्म उंचे मान व ख्याति वाली फर्म है जिसने भू–स्वामी प्रथमपक्ष के साथ मिलकर उक्त प्लॉट पर प्रस्तावित कॉम्पलेक्स का निर्माण कराना स्वीकार किया तथा भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने डवलपर द्वितीयपक्ष को आश्वस्त किया है कि उक्त प्लॉट प्रत्येक प्रकार के झगडे, टंटे से मुक्त है एवं उक्त सम्पत्ति प्रथमपक्ष के ही कब्जे में है तथा प्रथमपक्ष का उक्त प्लॉट के संबंध

For M/s AISHWARYA

For AISHWARYA KAPISH HOMES

Registration Endorsement

आज दिनांक 30/12/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1266 में
पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202103019118261 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5063 के
पृष्ठ संख्या 290 से 305 पर चस्पा किया गया।

202101019020270

Developer Agreement (Sale power)

उप पंजीयक, JAIPUR-V

सब रजिस्ट्रार जग.
पंचम

में नीट एवं क्लीन टाईटल है एवं प्लॉट प्रत्येक प्रकार के झगडे टंटे, भारे बंधन, चार्ज एव अधिग्रहण, डिकी, पूर्व इकरारनामा इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए यह डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट निष्पादित कर रहे है तथा भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने उक्त पुनर्गठित प्लॉट नम्बर 154, 155 व 156 मालवीय नगर, जयपुर पर डवलपर द्वितीयपक्ष का कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु खाली का कब्जा पूर्व में ही दे दिया है एवं डवलपर द्वितीयपक्ष इस डवलपमेंट एग्रीमेंट में निम्नलिखित वर्णित शर्तों के अन्तर्गत, कॉम्पलेक्स निर्माण हेतु तत्पर है।

भाग–3
अण्डरटेकिंग्स

1. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष यह घोषणा करता है कि उक्त सम्पत्ति को डवलप करने के लिए डवलपर द्वितीयपक्ष के साथ इस डवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित करने के लिये भू–स्वामी प्रथमपक्ष समस्त स्वत्व अधिकार रखता है एवं घोषणा करता है कि उसके सिवाय अन्य किसी व्यक्ति का उक्त प्लॉट पर कोई टाईटल, अधिकार इत्यादि नही है।

2. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने डवलपर द्वितीयपक्ष को उक्त प्लॉट डवलपमेंट हेतु उपलब्ध करा दिया है तथा भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने डवलपर द्वितीयपक्ष को अनुज्ञा देता है, पूर्णरुप से अधिकृत करता है कि उक्त सम्पत्ति पर बहुमंजला आवासीय कॉम्पलेक्स के निर्माण करें, जिसमें बहुत से स्वतंत्र अपार्टमेंट/फ्लैटस इत्यादि हो, को पूर्णरुप से निर्मित, विकसित व पूर्ण करावे।

3. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष के पास उपरोक्त सम्पत्ति के असल टाइटल डीडस की चैन है तथा भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने उपरोक्त सम्पत्ति के असल चैन टाइटल डीड्स की प्रमाणित प्रतिलिपि डवलपर द्वितीयपक्ष को उपलब्ध करा दी है तथा भू–स्वामी प्रथमपक्ष यह भी घोषणा करता है एवं विश्वास दिलाता है कि उक्त प्लॉट के असल कागजों को प्रथमपक्ष अपने सुरक्षा में अग्नि, पानी इत्यादि से सुरक्षित रखेगा।

4. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष धोषणा करता है भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति अथवा इसके किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी व्यक्ति से इकरार, वायदा, अनुबंध इत्यादि नहीं किया हैं और न ही विक्रय अथवा लीज का अनुबंध किया तथा डवलपर द्वितीयपक्ष के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति से डवलपमेंट एग्रीमेंट नही किया है

5. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष धोषणा करता है कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने ऐसा कोई कार्य अथवा ऐसी कोई चीज/लेख निष्पादित नही किया है जिसके कारण उक्त सम्पत्ति का डवलपमेंट किसी भी प्रकार से बाधित अथवा प्रभावित हो।

6. यह कि उक्त सम्पत्ति के निर्माण /विकास के लिये डवलपर द्वितीयपक्ष द्वारा साइट पर लाये गये सभी प्रकार के प्लांट , मशीनरी , टूल्स, औजार, स्टोर्स एवं सामान इत्यादि हर समय डवलपर द्वितीयपक्ष की सम्पत्ति रहेगी एवं भू–स्वामी प्रथमपक्ष स्पष्टरुप से सहमति व स्वीकृति देता है कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष को उक्त प्लाट, मशीनरी, औजार, टूल्स इत्यादि सामानों पर किसी प्रकार का अधिकार जताने अथवा दावा करने का पंचअधिकार नहीं होगा।

सब रजिस्ट्रार जयपुर

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

7. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने कथन किया है कि उक्त सम्पत्ति का यह केवल व एकमात्र निरपेक्ष स्वामी है एवं यदि किसी अन्य व्यक्ति, एजेंसी, प्रथमपक्ष के किसी पारिवारिक सदस्य इत्यादि के द्वारा किसी भी समय उक्त सम्पत्ति के स्वामित्वअधिकार के संबंध में कोई विवाद होगा तो उसका भू–स्वामी प्रथमपक्ष स्वयं के ऊपर व स्वयं के खर्चे से निपटारा करायेगा तथा ऐसे विवाद से उत्पन्न होने वाली हानि के लिये भू–स्वामी प्रथमपक्ष, डवलपर द्वितीयपक्ष / भावी क्रेता को क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार रहेगा।

8. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने डवलपर द्वितीयपक्ष को एक मुख्त्यारनामा आम के द्वारा अधिकृत कर दिया है कि वह भू–स्वामी प्रथमपक्ष की ओर से उक्त सम्पत्ति के संबंध में विभिन्न विभागों में प्रार्थना पत्र , दस्तावेज इत्यादि निष्पादित करे, कॉम्पलेक्स निर्माण के संबंध में अस्थाई/स्थाई बिजली पानी के कनेक्शन प्राप्त करें, उक्त मुख्त्यारनामा में वर्णित समस्त कार्यवाहियां प्रथमपक्ष की ओर से करें।

9. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष व डवलपर द्वितीयपक्ष ने यह डवलपमेंट एग्रीमेंट केवल प्रिंसिपल–टू– प्रिंसिपल आधार पर निष्पादित किया है जिसको भू–स्वामी प्रथमपक्ष व डवलपर द्वितीयपक्ष के मध्य सेवा अनुबन्ध, भागीदारी, विक्रय, सम्पत्ति अंतरण इत्यादि नहीं माना जायेगा और न ही ऐसोसिएशन ऑफ परसन्स माना जायेगा। प्रत्येक पक्ष सख्त रुप से अपने अपने आयकर दायित्व के लिये जिम्मेदार रहेगा।

10. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष सहमत है एवं अपनी अपरिवर्तनीय सहमति देता है कि वह कोई आपत्ति व हस्तक्षेप नहीं करेगा :–

अ. सम्पूर्ण प्रोजेक्ट के डवलपमेंट कार्य के दौरान

ब. उक्त कॉम्पलेक्स निर्माण नक्शों में किसी प्रकार के संशोधन, अतिरिक्त निर्माण के नक्शे जोडने पर, परिवर्तन, सुधार, अंतर के समय।।

11. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष एवं डवलपर द्वितीयपक्ष एक दूसरे का हिस्सा किसी अन्य व्यक्ति को रहन, इकरार, किराया, लाईसेंस, लीज व अन्य प्रकार से हस्तांतरित नही करने के लिए सहमत है।

12. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ऐसा कोई कृत्य, लेख व अन्य कार्य नही करेगा जिससे कि डवलपर द्वितीयपक्ष को उक्त सम्पत्ति पर निर्माण करने व कॉम्पलेक्स पूर्ण करने से रोका जा सके।

13. यह कि डवलपर द्वितीयपक्ष व प्रथमपक्ष /भू–स्वामी व फर्म में स्ट्रक्चरल परिवर्तन करने का अधिकार होगा।

14. यह कि इस इकरारनामें के दोनों पक्ष सभी नियम, उपनियम, बाईलॉज आदि की पालना करेगे तथा नियमों का उल्लंधन करने पर दोनों पक्ष जिम्मेदार होंगे।

15. यह कि उक्त सम्पत्ति के डवलपमेंट के संबंध में यदि डवलपर को अतिरिक्त लेआउट, अतिरिक्त मुख्त्यारनामा आम, अधिकार पत्र इत्यादि निष्पादित कराने की आवश्यकता होगी तो भू–स्वामी प्रथमपक्ष, डवलपर द्वितीयपक्ष के हित में निष्पादित कर देगा, जिससे भू–स्वामी प्रथमपक्ष के हितों के विरुद्ध कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

For M/s AISHWARYA

Partner

FOR AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

16. यह कि इस डवलपमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत भू–स्वामी प्रथमपक्ष एवं डवलपर द्वितीयपक्ष संयुक्त रुप से कॉम्पलेक्स का कोई भाग/यूनि / प्लॉट किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित करते है तो वह हस्तांतरण इस डवलपमेंट के अधीन मान्य जायेगा।

भाग–4

कार्य सूची

1. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष ने उक्त सम्पत्ति जिस का पूरा विवरण नीचे सूची में दिया गया है, का भौतिक कब्जा निर्माण करवाने हेतु डवलपर द्वितीयपक्ष को संभला दिया है और उक्त सम्पत्ति पर कॉम्पलेक्स के संबंधित प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार निर्माण आरंभ करके पुर्ण करने हेतु समस्त अधिकार व स्वीकृति प्रदान कर दी है।

2. यह कि डवलपर द्वितीयपक्ष को अनुमोदित मानचित्र में संशोधन करवाने का अधिकार होगा एवं डवलपर द्वितीयपक्ष नक्शे की प्रत्येक कॉपी पर भू–स्वामी प्रथमपक्ष के हस्ताक्षर करायेगा तथा डवलपर द्वितीयपक्ष भू–स्वामी प्रथमपक्ष की ओर से संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से उक्त नक्शे को संशोधन अनुमोदित करायेगा, विभिन्न सक्षम प्राधिकरणों से एन.ओ.सी. व अनुमोदन प्राप्त करेंगा।

3. यह कि डवलपर द्वितीयपक्ष स्वयं के खर्चे से उक्त कॉम्पलेक्स का पंजीयन रेरा अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत करवाएगा तथा उक्त अधिनियम के नियमों की पूर्ण पालना करते हुए उक्त कॉम्पलेक्स का निर्माण करवाएगा।

4. यह कि डवलपर द्वितीयपक्ष सम्पूर्ण कॉम्पलेक्स को अनुमोदित नक्शों के अनुसार निर्मित करायेगा तथा उक्त कॉम्पलेक्स में उत्तम गुणवत्ता की निम्नलिखित सामग्री उपयोग में लेते हुए निर्माण व फिनिशिंग कराई जायेगी। डवलपर द्वितीयपक्ष को उक्त कॉम्पलेक्स के निर्माण हेतु अपने कार्य के लिए आर्किटेक्ट , इंजिनियर्स, ठेकेदार व अन्य स्टॉफ की नियुक्ति करने का अधिकार होगा।

5. यह कि प्रथमपक्ष ने स्वयं के खर्चे से उक्त प्लाट पर निर्मित होने वाली ईमारत के मानचित्र जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से अनुमोदित करवा लिए है तथा उक्त प्लाट पर बोरिंग भी करवा लिया है। अब डवलपर द्वितीयपक्ष अनुमोदित नक्शों के अनुसार आज से 18 माह की अवधि में कॉम्पलेक्स का निर्माण पूरा करा देगा। भू–स्वामी प्रथमपक्ष द्वारा छः माह का ग्रेस पीरियड कॉम्पलेक्स के निर्माण व विकास पूर्ण होने में लगने वाले कुछ छिपे हुए कारणों की वजह से दिया जा सकेगा। डवलपर द्वितीयपक्ष द्वारा निर्माण आरंभ करने की तिथी से 24 माह की अवधि में निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा ।

6. यह कि उक्त कॉम्पलेक्स का निर्माण कार्य पुरा होने के दौरान दंगे, शान्ति भंग, कानूनी आदेश जो नियंत्रण से बाहर हो, कोविड –19 लहर इत्यादि, बिल्डिंग मैटेरियल की उपलब्धता ना होना, ट्रांसपोटर्स की हडताल, सरकारी बन्दिया , देवीकृत्य अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा अथवा भू–स्वामी प्रथमपक्ष के टाइटल में खोट अथवा पडोसी द्वारा सक्षम न्यायालय में प्राधिकरण इत्यादि द्वारा स्टे/ऑर्डर होना अथवा ऐसे अन्य कोई कारण जो डवलपर द्वितीयपक्ष के नियंत्रण से बाहर हो, की जिम्मेदारी डवलपर द्वितीयपक्ष की नही होगी एवं इसमें लगने वाला समय उक्त तयशुदा समय मे नहीं गिना जायेगा।

सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम

For M/s AISHWARYA

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

7. यह कि दोनो पक्षों के मध्य तय हुआ है कि वर्तमान में स्थानीय निकाय में यह नियम है कि पार्किंग क्षेत्र स्थानीय निकाय के हित में समाप्त किया जाता है तो वापिस स्थानीय निकाय द्वारा भू–स्वामी को लीज के आधार पर पार्किंग उपयोग हेतु पुनः आवंटित किया जाता है। ऐसी लीज राशि भू– स्वामी प्रथमपक्ष व डवलपर द्वितीयपक्ष द्वारा उसके अनुपात में देय होगी एवं पार्किंग क्षेत्र के अधिकार भी भू–स्वामी प्रथमपक्ष व डवलपर द्वितीयपक्ष में तयशुदा अनुपात के अनुसार 50 प्रतिशत व 50 प्रतिशत के अनुपात में निहित हो जायेंगे।

8. यह कि दोनों पक्षो के मध्य यह तय है कि उक्त कॉम्पलेक्स के निर्माण कि सम्पूर्ण व्यय जिसमें आकस्मिक खर्चे भी सम्मिलित होंगे, डवलपर द्वितीयपक्ष द्वारा ही वहन किये जाऐगे एवं निर्माण के संबंध में समस्त प्रयास भी डवलपर द्वितीयपक्ष ही करेगा।

9. यह कि उक्त कॉम्पलेक्स के बिल्डिंग प्लान में वि सी. लाभकार परिवर्तन अथवा अन्य आवश्यक परिवर्तन करवाने की स्थिति में प्रथमपक्ष सभी आवश्यक दस्तावेज/नक्शे इत्यादि पर हस्ताक्षर करके निष्पादन कर देगा एवं समस्त कानूनी औपचारिकताएँ पूर्ण करा देगा जिसके संबंध में डवलपर द्वितीयपक्ष से अतिरिक्त प्रतिफल राशि प्राप्त नहीं करेगा।

10. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष के अधिकारों व हितों को प्रभावित किये बिना डवलपर द्वितियपक्ष का अधिकार होगा कि वह उक्त सम्पत्ति में अथवा अन्य स्थान पर अस्थायी साइट ऑफिस का निर्माण कर लेवे, साईन बोर्ड/होर्डिंग/डिस्प्ले बोर्ड लगा लेवे तथा डवलपर द्वितियपक्ष को संचार जगत के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित करवाने का अधिकार होगा। डवलपर द्वितियपक्ष को कॉम्पलेक्स की छत पर अपना डिस्प्ले बोर्ड लगानें का अधिकार होगा।

11. यह कि भू–स्वामी प्रथमपक्ष को द्वितियपक्ष से अन्य किसी प्रकार की राशि लेने का अधिकार नहीं होगा।

भाग–5

प्रलिफल राशि

भू–स्वामी प्रथमपक्ष व डवलपर द्वितियपक्ष के लिये :–

1. यह कि दोनों पक्ष यह सुस्पष्ट धोषणा करते हैं कि उक्त कॉम्पलेक्स का निर्माण/डवलपमेंट का सफल कार्य द्वितीयपक्ष के श्रम व खर्च से किया जायेगा जिसके संबंध में द्वितीयपक्ष प्रयास, कार्य, खर्चे स्वयं के पास से करेगा एवं द्वितीयपक्ष निर्मित होने वाले कॉम्पलेक्स का 50 प्रतिशत निर्मित क्षेत्र का स्वामी रह जायेगा, दूसरे शब्दों में प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष उक्त कॉम्पलेक्स के निम्न प्रकार से हिस्सेदार होंगें :–

भू–स्वामी प्रथमपक्ष	50 प्रतिशत
डवलपर द्वितीयपक्ष	50 प्रतिशत

यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष ने अपने–अपने हिस्से के फ्लैटस चिन्हित कर लिए एवं अपने अपने हिस्से में आए हुए फ्लेटस को विक्रय करने के लिए स्वतंत्र रहेगें। प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के हिस्से में आए हुए फ्लेट्स का विवरण :–

रजिस्ट्रार जयपुर पंचम

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

प्रथमपक्ष भूस्वामी का हिस्सा	द्वितीयपक्ष डवलपर का हिस्सा
फ्लेट नंबरः—	फ्लेट नंबरः—
101, 201, 301,	102, 103, 104,
401, 501, 601,	105, 106, 107,
303, 403, 503,	108, 202, 203,
603, 604, 505,	204, 205, 206
605, 506, 606,	207, 208, 302
307 व 407, कुल 17 फ्लेट्स	304, 305, 306
	402, 404, 405,
	406, 502, 504,
	602, कुल 25 फ्लेट्स

3. यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य उक्त कॉम्पलेक्स में स्थित कॉमन एरिया व खुले क्षेत्र अलावा छत का भी उक्त तयशुदा अनुपात प्रथमपक्ष 50 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष 50 प्रतिशत के अनुसार विभाजन होगा।

4. यह कि प्रथमपक्ष अथवा द्वितीयपक्ष का कोई हिस्सा क्षेत्रगणना व अनुपात के अन्तर्गत दशमलव अंक में आ जायेगा तो ऐसी अवस्था में दोनो पक्ष में से किसी भी पक्ष को उक्त हिस्से परिसर में से दशमलव अंक का हिस्सा परिसर लेकर प्रतिपक्ष को आपसी तयशुदा प्रतिफल राशि देकर दशमलव अंक का हिस्सा परिसर अपने परिसर में सम्मिलित करने का अधिकार होगा अथवा यदि किसी फ्लैट का विभाजन नहीं हो सकेगा तो ऐसी अवस्था में दोनों पक्ष मिलकर संयुक्त रुप से ऐसे फ्लैट को विक्रय करेंगें तथा प्रतिफल राशि का उक्त अनुपात में विभाजन कर लेंगें।

5. यह कि उक्त कॉम्पलेक्स का समस्त कॉमन क्षेत्र, जिसमें पैसेजेज, जीने, लॉबिज, लिफ्ट एण्ड लिफ्ट बेल, मशीन रुम, गार्ड रुम, जनरेटर व जनरेटर रुम, कॉमन पार्किंग स्पेस, कॉमन टॉयलेट, कॉमन सर्वेन्ट रुम इत्यादि, प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के उक्त तयशुदा अनुपात प्रथमपक्ष का 50 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष का 50 प्रतिशत रहेंगें।

6. यह कि इस इकरारनामें में दिये गये अधिकारों के अंतर्गत द्वितीयपक्ष को अपना 50 प्रतिशत हिस्सा सम्पति के संबंध में किसी भी व्यक्ति के हित में विक्रय इकरारनामा/विक्रय पत्र/लीज डीड/किरायानामा/ लाईसेंस डीड व अन्य इकरारनामा करने का अधिकार होगा एवं ऐसे दस्तावेजो को उपपंजीयक कार्यालय में प्रस्तुत करके पंजीयन कराने का अधिकार होगा, इस संबंध में प्रथमपक्ष को किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। यदि भावी केता/अंतरिती द्वारा प्रथमपक्ष के हस्ताक्षरों की मांग की जायेगी तो ऐसी अवस्था में प्रथमपक्ष को द्वितीयपक्ष के साथ भावी केता के हित में निष्पादित किये जाने वाले विक्रयपत्र दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा तथा प्रथमपक्ष को इसके संबंध में प्रतिफल राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। द्वितीयपक्ष को प्रथमपक्ष के हिस्से की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा द्वितीयपक्ष यदि उक्त

सब रजिस्ट्रार अधि. पंचम

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

सम्पत्ति पर निर्माण कार्य कराने हेतु फाईनेन्स लेना चाहेगा तो इस कार्य हेतु द्वितीयपक्ष उक्त सम्तत्ति को मोरगेज रखने के लिए स्वतन्त्र रहेगा।

7. यह कि उक्त कॉम्पलेक्स की खुली छत का 50 प्रतिशत भाग प्रथमपक्ष तथा शेष 50 प्रतिशत भाग द्वितीयपक्ष के हिस्से में रहेगा।

8. यह कि उक्त कॉम्पलेक्स की यूनिट्स प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष द्वारा अपने–अपने हिस्से के अनुसार ही विक्रय की जावेगी तथा संबंधित पक्ष को विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा । प्रथमपक्ष द्वितीयपक्ष को यह अधिकार देता है कि द्वितीयपक्ष अपने हिस्से की यूनिट्स के विक्रय पत्र का पंजीयन संबंधित क्रेता के हित में प्रथमपक्ष की ओर से बहैसियत मुखत्यारआम करवा सकेगा।

9. यह कि उक्त कॉमन कॉम्पलेक्स के किसी भी ऐसे हिस्से जिसका विभाजन नहीं हुआ है अथवा खुले क्षेत्र की किराये की आय होगी तो उसका विभाजन भी प्रथमपक्ष 50 प्रतिशत व द्वितीयपक्ष 50 प्रतिशत के अनुपात में करेंगे।

10. यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष को निर्मित होने वाले कॉम्पलेक्स की अपने–अपने हिस्से की यूनिटस को भावी केता को बुकिंग करने व अग्रिम राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा जिसमें दूसरे पक्ष को हस्तक्षेप करने का अधिकार नही होगा।

भाग–6
कर / देय राशिया

1. यह कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में किसी प्राधिकरण को इस इकरारनामें के निष्पादित होने के दिन से पहले के देय समस्त टैक्सेज, लगजिमनो, ग्राउण्ड रेंट इत्यादि प्रथमपक्ष स्वयं अदा करेगा।

2. यह कि उक्त सम्पत्ति के संबंध में इस इकरारनामें के निष्पादित होने से पहले के देय समस्त टैक्सेज इत्यादि प्रथमपक्ष वहन करेगा एवं यदि द्वितीयपक्ष को अदा करने पडे तो प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाध्य रहेगा।

3. यह कि दोनों पक्षो के मध्य यह स्पष्ट तय हुआ है कि दोनों पक्ष अपने– अपने हिस्से सम्पत्ति से प्राप्त होने वाली आय पर देय आयकर की अदायगी के जिम्मेदार होंगे।

भाग–7
क्षतिपूर्ति

1. यह कि प्रथमपक्ष द्वारा यह बताये जाने पर कि उक्त सम्पत्ति का टाइटल साफ व भारमुक्त है, द्वितीयपक्ष इस इकरारनामें को निष्पादित कर रहा है, यदि इस इकरारनामें के निष्पादन के पश्चात उक्त प्लॉट के निर्माण के दौरान यदि प्रथमपक्ष के स्वामित्व के संबंध में कोई विवाद होगा तो उसको निपटाने की जिम्मेदारी प्रथमपक्ष की स्वयं की होगी तथा यदि उक्त सम्पत्ति द्वितीयपक्ष अथवा द्वितीयपक्ष के हिस्से परिसर में आने वाली यूनिट के भावी केता के हाथ से निकल जाये तो प्रथमपक्ष, द्वितीयपक्ष अथवा द्वितीयपक्ष के हिस्से परिसर में आने वाली यूनिट के भावी केता को भूमि व निर्माण की वास्तविक कीमत मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से द्वितीयपक्ष के हिस्से परिसर में आने वाली यूनिट के भावी केता के हित में निष्पादित होने वाले इकरारनामें की दिनाक

उप रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

For M/s AISHWARYA

से द्वितीयपक्ष के हिस्से परिसर में आने वाली यूनिट के भावी क्रेता को अदा करने के लिये जिम्मेदार रहेगा।

2. यह कि दोनों पक्षो में से कोई भी पक्ष इस इकरारनामें में वर्णित एक अथवा अधिक शर्तो की पालना न करें तो प्रतिपक्ष को इस इकरारनामें की पालना करवाने का अधिकार होगा।

3. यह कि प्रथमपक्ष इस इकरारनामें वर्णित शर्तो की पालना न करे तो तथा इसके कारण द्वितीयपक्ष को भुगतान करना पडे तो प्रथमपक्ष का दायित्व होगा कि वह द्वितीयपक्ष को ऐसे नुकसान की भरपाई करे तथा ऐसी देरी लगातार छः माह तक हो जाये तो द्वितीयपक्ष को अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रथमपक्ष के विरुद्ध इस इकरारनामें की विशिष्ट अनुपालना करवाने एवं अपना दिया हुआ/वहन किया हुआ समस्त रुपया मय हानि , व्यय, हर्जा प्रथमपक्ष से वसूलने का अधिकार होगा।

4. यह कि प्रथमपक्ष के एजेंट, सर्वेट, प्रतिनिधि अथवा अन्य दावेदार व्यक्ति द्वारा यदि कॉम्पलेक्स के निर्माण के दौरान द्वितीयपक्ष को निर्माण कार्य करने से रोका जाये तो द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि उसके द्वारा दी गई समस्त राशि मय ब्याज 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रथमपक्ष से वसूल कर लेवे एवं द्वितीयपक्ष को अधिकार होगा कि वह प्रथमपक्ष से क्षतिपूर्ति की राशि दावा करके वसूल कर लेवे इसके अलावा द्वितीयपक्ष को इस इकरारनामें की विशिष्ट अनुपालना करवाने का अधिकार सूरक्षित रहेगा।

भाग–8

मध्यस्थता

1. यह कि प्रथमपक्ष व द्वितीयपक्ष के मध्य इस इकरारनामें के संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी वाद– विवाद अथवा प्रश्न का निर्णय पंच निर्णय एकल पंच श्री हरीश अग्रवाल, एडवाकेट द्वारा कराया जायेगा जिनका निर्णय दोनों पक्षो पर बाध्यकारी होगा। पंच निर्णय की कार्यवाही जयपुर में होगी तथा आर्बिट्रेशन एण्ड कोंसिलिएशन एक्ट 1961 के प्रावधान लागू होंगे।

भाग–9

न्यायक्षेत्र

1. यह कि पंच निर्णय के अवार्ड के संबंध में केवल जयपुर न्यायालय ही न्याय क्षेत्र होगा।

भाग–10

विविध

1. यह कि उक्त कॉम्पलेक्स का नाम प्रथमपक्ष की सहमति से द्वितीयपक्ष अपनी इच्छानुसार रख सकेगा।

2. यह कि सभी नोटिस, पत्राचार का माध्यम हाथ अथवा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा एवं दोनों पक्षों के उपरोक्त वर्णित पते पर होगा जब तक कि पता परिवर्तित किये जाने की सूचना न हो।

3. उक्त सम्पत्ति को इस लेख पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है तथा इस लेख पत्र के साथ संलग्न मानचित्र भी इस लेख पत्र का एक अभिन्न अंग रहेगा।

सब रजिस्ट्रार जयपुर पंचम

For M/s AISHWARYA

For AISHWARYA KAPISH HOMES

PARTNER

4. यह कि इस डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट को दो हुबहू प्रतियों से तैयार करवाया गया है, जिनकी वैधता मूल प्रति के समान रहेगी तथा एक--एक प्रति दोनो पक्षों के पास रहेगी।

5. यह कि इस डवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट से संबंधित समस्त खर्चा प्रथमपक्ष के जिम्मे तय हुआ था जो प्रथमपक्ष ने अपने पास से वहन किया है।

अतः यह डवलपमेंट एग्रीमेंट दोनों पक्षों के गवाहों की उपस्थिति में उपरोक्त वर्णित दिनांक को निष्पादित कर दिया है।

For M/s AISHWARYA

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

Partner

हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष

PARTNER

गवाह

CHETAN MEENA S/o PREM PRAKASH MEENA
R/o SHASTARI NAGAR JAIPUR

गवाह

GANESH KUMAWAT
S/o BHORI LAL KUMAWAT
R/o SUBHASH CHOWK JAIPUR

सब रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

SITE PLAN OF RECONSTITUTED PLOTS NO. 154, 155, 156 IN SCHEME MALHOTRA NAGAR NEAR VIDHYADHAR NAGAR STADIUM, JAIPUR.



OTHER'S LAND

P.No. 153(c)

PLOTS No. 154, 155, 156

85'-0"

84'-5"

111'-0"

P.No. 157

ROAD 40'-0" WIDE

For M/s AISHWARYA

Partner

For AISHWARYA KAPISH HOMES

DEED COLOUR SHOWN THUS.

TOTAL AREA = 874.51 SQ MTR.

" " = 1045.94 SQ YDS.

Registration Endorsement

आज दिनांक 30/12/2021 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1266 में
पृष्ठ संख्या 143 क्रम संख्या 202103019118261 पर पंजीबद्ध किया गया तथा
अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 5063 के
पृष्ठ संख्या 290 से 305 पर चस्पा किया गया।

202101019020270

Developer Agreement (Sale power)

उप पंजीयक, JAIPUR-V
सब रजिस्ट्रार जयपुर
पंचम

For M/s AISHWARYA

Partner